"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2006—आषाढ़ 2, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक ई-1-02/2006/एक/2.—श्री बी. एल. ठाकुर, भा. प्र. से. (सी जी : 1989), आयुक्त, आदिवासी विकास एवं समन्वयक सलवा जुडूम, बस्तर क्षेत्र को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक एफ 9-03/04/1-8.—इस विभाग के आदेश दिनांक 8-12-2005 द्वारा श्री अनूप श्रीवास्तव (भा.व.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन एवं मछली पालन विभाग पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए श्री श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग में पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/9/2004/1/2.—श्री व्ही. के. कपूर, भा. प्र. से., महानिदेशक, छ. ग. प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक (5 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11, 17 एवं 18 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कपूर, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक महानिदेशक, छ. ग. प्रशासन अकादमी एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कपूर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कपूर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/15/2004/1/2.—श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से., प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 19-6-2006 से 30-6-2006 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मिंज, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिंज, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10, 11, 17 एवं 18 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/37/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9-5-2006 द्वारा श्री डी. के. श्रीवास्तव, भा. प्र. से., कलेक्टर, बस्तर, जगदलपुर को दिनांक 22-5-2006 से 31-5-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.—श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 12-6-2006 से 21-6-2006 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 जून, 2006 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. श्री पिंगुआ के अवकाश अवधि में श्री एन. एस. मण्डावी, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, सरगुजा का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पिंगुआ, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक ई-7/56/2004/1/2.—श्री जी. एस. धनंजय, भा. प्र. से., कलेक्टर, कांकेर को दिनांक 22-5-2006 से 3-6-2006 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 20, 21 मई, 2006 एवं 4-6-2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. श्री धनंजय के अवकाश अवधि में श्री एन. के. गुप्ता, रा. प्र. से. अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी, कांकेर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, कांकेर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री धनंजय, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री धनंजय, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनंजय, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक 512/445/2006/1-8/स्था.—श्री एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10-7-2006 से 14-7-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा 8, 9, 15 एवं 16-7-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री मंधानी, ओ. एस. डी. के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री एन. के. भट्टर, रजिस्ट्रार/ओ. एस. डी. अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री मंधानी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मंधानी अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2006

क्रमांक 454/379/2006/1-8/स्था.—श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव के अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री के. के. बाजपेई, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्रीमती विभा चौधरी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विभा चौधरी अवकाश पर नहीं जातीं तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

क्रमांक 459/428/2006/1-8/स्था.—श्री ए. मिंज, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 22-5-2006 से 31-5-2006 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 20 एवं 21-5-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ए. मिंज, को अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो, अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

क्रमांक 461/427/2006/1-8/स्था.—श्रीमती अमृता बेक, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को दिनांक 22-5-2006 से 3-6-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती अमृता बेक को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अमृता बेक अवकाश पर नहीं जाती तो, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

क्रमांक 467/440/2006/1-8/स्था.—श्री दिलीप कुमार ठाकुर, अवर सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय को दिनांक 5-6-2006 से 16-6-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 4, 17 एवं 18-6-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को अवर सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, मान. मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2006

क्रमांक 469/288/2006/1-8/स्था.—श्री सी. जे. खत्री, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 24-4-2006 से 6-5-2006 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खत्री, को वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो, वित्तीय सलाहकार, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक 471/226/2006/1-8/स्था.—श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 19-1-2006 से 12-4-2006 तक 84 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री साकी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री साकी अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक 473/453/2006/1-8/स्था.—श्री एम. एम. मिंज, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 25-5-2006 से 3-6-2006 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर, पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक 536/299/2006/1-8/स्था.—श्री एम. आर. ठाकुर, स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, खनिज विभाग को दिनांक 17-4-2006 से 22-4-2006 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ठाकुर को स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, खनिज विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री ठाकुर, अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक 538/381/2006/1-8/स्था.—श्री जे. पी. वर्मा, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 7-7-2006 तक 26 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11-6-2006 एवं 8, 9-7-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के पद पर, पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, प्रमुख सचिव, छ. ग. शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक 540/275/2006/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण निभाग को दिनांक 15-5-2006 से 3-6-2006 तक 20 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2006

क्रमांक 542/504/2006/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम, सचिव, मुख्यमंत्री एवं वन विभाग को दिनांक 12-6-2006 से 16-6-2006 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 10, 11, 17 एवं 18-6-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री एवं वन विभाग के पद पर, पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो, सचिव, मुख्यमंत्री एवं वन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक 6021/डी-1342/21-ब/छ.ग./2006.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4070/डी-746/21-ब/छ.ग./2006, दिनांक 17-4-2006 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है, जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :—

अनुसूची

अनु क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	जगदलपुर	1
		कांकेर	1
2.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		जांजगीर	1
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
3.	कोरबा	कोरबा	1

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	दुर्ग	दुर्ग	6
		बालोद	1
5.	रायगढ़	रायगढ़	2
6.	रायपुर	रायपुर	6
		धमतरी	1
7.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1
8.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	1
		सूरजपुर	2
		रामानुजगंज	2
		मनेन्द्रगढ़	1
		कुल	31

Raipur, the 29th May 2006

No. 6021/D-1342/21-B/C.G./2006.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 4070/ D-746/21-B/C.G./2006, Raipur, dated 17-4-2006 of this department, the State Government, on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby, constitutes and establish 'Fast Track Courts' specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Bastar at Jagdalpur	Jagdalpur	1
		Kanker	1
2.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Janjgir	1
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
3.	Korba	Korba	1
4.	Durg	Durg	6
		Balod	1
5.	Raigarh	Raigarh	2

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Raipur	Raipur	6
		Dhamtari	1
7.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	1
8.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	2
		Ramanujganj	2
		Manendragarh	1
		Total	31

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. गोयल, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक एफ 8-11/2005/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमिटेड मंदिर हसौद-रायपुर के बायलर क्रमांक-सी.जी./40 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 23-5-2006 से 22-6-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

रायपुर, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक एफ 8-2/2006/11/6.—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स मोनेट इस्पात लिमिटेड मंदिर हसौद-रायपुर के बायलर क्रमांक-एम.पी./4526 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 12-6-2006 से 31-7-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकरराव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

क्रमांक/2214/बी-11/8/2006/14-2.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्र. 13011/15/99 क्रेडिट-II, दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" के अंतर्गत खरीफ 2006 फसलों के लिये संलग्न अनुसूची के अनुसार तहसीलों को उनके सम्मुख दर्शाई गई खरीफ फसल के लिये राज्य शासन एतद्द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रताप कृदत्त, उप-सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2006 हेतु फसलवार अधिसूचित की जाने वाली तहसीलों की सूची

क्रमांक	फसल का नाम	जिला	परिभाषित तहसीलें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धान असिंचित	रायपुर	1. रायपुर 2. आरंग 3. तिल्दा 4. अभनपुर 5. सिमगा 6. भाठापारा 7. बलौदाबाजार 8. पलारी 9. कसडोल 10. बिलाईगढ़ 11. राजिम 12. गरियाबंद 13. देवभोग
		दुर्ग	1. दुर्ग 2. पाटन 3. गुण्डरदेही 4. डौण्डीलोहारा 5. धमधा 6. बालोद 7. गुरूर 8. बेमेतरा 9. बेरला 10. साजा 11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. डोंगरगांव 4. खैरागढ़ 5. छुईखदान 6. मोहला 7. अम्बागढ़ चौकी 8. मानपुर
		महासमुंद	1. महासमुंद 2. सरायपाली 3. बसना

(1)	(2)	(3)	(4)
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. भानुप्रतापपुर
			5. अंतागढ़
			6. पखांजूर
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दन्तेवाड़ा
			2. भोपालपट्टनम
			3. बीजापुर
			4. कोन्टा
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. पेण्ड्रारोड
			3. कोटा
			4. तखतपुर
			5. मुंगेली
			6. लोरमी
			7. बिल्हा
			8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. नवागढ़
			3. पामगढ़
			4. चांपा
			5. सक्ती
			6. मालखरौदा
			7. जैजेपुर
			8. डभरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा 3. पाली 4. करतला
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. राजपुर 3. लुण्ड्रा 4. सीतापुर 5. सूरजपुर 6. प्रतापपुर 7. पाल 8. वाड्रफनगर 9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुंठपुर 2. सोनहत 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. खरसिया 4. घरघोड़ा 5. लैलूंगा 6. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. कुनकुरी 3. बगीचा 4. पत्थलगांव
2.	धान सिंचित	रायपुर	1. रायपुर 2. आरंग 3. तिल्दा 4. अभनपुर 5. सिमगा 6. भाठापारा 7. बलौदाबाजार 8. पलारी 9. कसडोल 10. बिलाईगढ़ 11. राजिम 12. गरियाबंद

(1)	(2)	(3)	(4)
		दुर्ग	1. दुर्ग
			2. पाटन
			3. गुण्डरदेही
			4. डौण्डीलोहारा
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. गुरूर
			8. बेमेतरा
			9. बेरला
			10. साजा
			11. नवागढ़
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. डोंगरगांव
			4. खैरागढ़
			5. छुईखदान
			6. मोहला
			7. अम्बागढ़ चौकी
			8. मानपुर
		महासमुंद	1. महासमुंद
			2. सरायपाली
			3. बसना
		धमतरी	1. धमतरी
			2. कुरूद
			3. नगरी
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. केशकाल
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. पखांजूर
			5. भानुप्रतापपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. भोपालपट्टनम
		बिलासपुर	1. बिलासपुर
			2. पेण्ड्रारोड
			3. कोटा
			4. तखतपुर
			5. मुंगेली
			6. लोरमी
			7. बिल्हा
			8. मस्तुरी
		जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर
			2. नवागढ़
			3. पामगढ़
			4. चांपा
			5. सक्ती
			6. मालखरौदा
			7. जैजेपुर
			8. डभरा
		कोरबा	1. पाली
			2. करतला
			3. कोरबा
			4. कटघोरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. सूरजपुर
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
		रायगढ़	1. रायगढ़
			2. सारंगढ़
			3. खरसिया
			4. लैलूंगा
			5. धरमजयगढ़
			6. घरघोड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
		जशपुर नगर	1. कुनकुरी
			2. बगीचा
3.	कोदो कुटकी	रायपुर	1. सिमगा
			2. देवभोग
			3. गरियाबंद
		दुर्ग	1. डौंडीलोहारा
			2. बेमेतरा
			3. साजा
			4. नवागढ़
			5. धमधा
			6. बालोद
			7. बेरला
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
			5. मोहला
			6. अम्बागढ़ चौकी
			7. मानपुर
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		कबीरधाम (कवर्धा)	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर
		उत्तर बस्तर कांकेर	1. कांकेर
			2. चारामा
			3. नरहरपुर
			4. पखांजूर
			5. भानुप्रतापपुर
			6. अंतागढ़
		दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा
			2. कोन्टा
			3. बीजापुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. लोरमी 3. कोटा 4. पेण्ड्रारोड
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. सूरजपुर 2. प्रतापपुर 3. पाल 4. वाड्रफनगर
		कोरिया	1. बैकुंठपुर 2. सोनहत 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. बगीचा
4.	सोयाबीन	दुर्ग	1. धमधा 2. बेरला 3. साजा 4. बेमेतरा
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव 2. डोंगरगढ़ 3. खैरागढ़ 4. छुईखदान 5. डोंगरगांव
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा) 2. पण्डरिया
		बिलासपुर	1. मुंगेली
5.	तुअर	रायपुर	1. सिमगा
		दुर्ग	1. धमधा 2. बेरला 3. साजा 4. बेमेतरा

(1)	(2)	(3)	(4)
		राजनांदगांव	1. राजनांदगांव
			2. डोंगरगढ़
			3. खैरागढ़
			4. छुईखदान
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा)
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
		दन्तेवाड़ा	1. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड
			2. मुंगेली
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर
			2. लुण्ड्रा
			3. सूरजपुर
			4. सीतापुर
			5. प्रतापपुर
			6. पाल
			7. वाड्रफनगर
			8. सामरी
			9. राजपुर
		कोरिया	1. बैकुंठपुर
			2. मनेन्द्रगढ़
			3. भरतपुर
		जशपुर नगर	1. जशपुर
			2. कुनकुरी
			3. बगीचा
			4. पत्थलगांव
		रायगढ़	1. धर्मजयगढ़
			2. लैलूंगा
6.	मक्का	कबीरधाम	1. कवर्धा
			2. पण्डरिया
		बस्तर	1. जगदलपुर
			2. कोण्डागांव
			3. केशकाल
			4. नारायणपुर

(1)	(2)	(3)	(4)
		कांकेर	1. भानुप्रतापपुर 2. अंतागढ़ 3. पंखाजूर
		दन्तेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा 2. भोपालपट्टनम 3. बीजापुर 4. कोन्टा
		बिलासपुर	1. पेण्ड्रारोड 2. कोटा
		कोरबा	1. कटघोरा 2. पाली
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. राजपुर 3. लुण्ड्रा 4. सूरजपुर 5. सीतापुर 6. प्रतापपुर 7. पाल 8. वाड्रफनगर 9. सामरी
		कोरिया	1. बैकुंठपुर 2. सोनहत 3. मनेन्द्रगढ़ 4. भरतपुर
		रायगढ़	1. धरमजयगढ़
		जशपुर नगर	1. जशपुर 2. बगीचा 3. पत्थलगांव
7.	मूंगफली	महासमुन्द	1. महासमुन्द 2. सरायपाली 3. बसना
		दुर्ग	1. बेमेतरा
		बिलासपुर	1. मुंगेली 2. पेण्ड्रारोड

(1)	(2)	(3)	(4)
		जांजगीर-चांपा	1. डभरा
		सरगुजा	1. अंबिकापुर 2. सीतापुर 3. सूरजपुर 4. प्रतापपुर 5. पाल
		रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा 4. लैलूंगा 5. धर्मजयगढ़
		जशपुर नगर	1. बगीचा 2. पत्थलगांव
8.	तिल	रायपुर	1. गरियाबंद
		महासमुन्द	1. महासमुन्द
		कबीरधाम	1. कबीरधाम (कवर्धा) 2. पण्डरिया
		दंतेवाड़ा	1. कोन्टा
		कोरबा	1. कटघोरा
		सरगुजा	1. पाल 2. सूरजपुर 3. वाड्रफनगर
		कोरिया	1. मनेन्द्रगढ़ 2. भरतपुर
		रायगढ़	1. घरघोड़ा 2. धरमजयगढ़
9.	ज्वार	बस्तर	1. जगदलपुर
		दंतेवाड़ा	1. कोन्टा

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक एफ-9-42/दो/गृह/06.—सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकासखण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखण्ड अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 24 फरवरी, 2006 को प्रश्नपत्र "पंचायत राज विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित)" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

सरल क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	कु. गीता शुक्ला	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
	परीक्षा केन्द्र रायपुर		
2.	श्री शैलेन्द्र कुमार बडौनिया	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
3.	कु. प्रियंका थवांईत	डिप्टी कलेक्टर	उच्चस्तर
4.	श्री महेश सिंह राजपूत	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
5.	श्री सुधांशु सक्सेना	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
6.	श्री अमित कुमार गुप्ता	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
7.	श्री प्रकाश कुमार टंडन	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
8.	श्री बनसिंह नेताम	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
9.	श्रीमती पूनम शर्मा	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर
10.	श्री हेमन्त कुमार ठाकुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	उच्चस्तर

(1)	(2)	(3)	(4)
	परीक्षा केन्द्र जगदलपुर		
11.	कु. गीता रायस्त	नायब तहसीलदार	निम्नस्तर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, सचिव.

गृह (जेल) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक एफ-1-10/दो/(तीन-जेल) 2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा जेल नियमावली के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये निम्नांकित व्यक्तियों को तीन वर्ष की कालावधि के लिये नीचे कालम में दर्शित जेलों के लिए अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है :—

क्र. (1)	जेल का नाम (2)	अशासकीय संदर्शक का नाम (3)	पता (4)
1.	केन्द्रीय जेल जगदलपुर	1. श्री राजेन्द्र बाजपेयी	जगदलपुर
2.	उप जेल नारायणपुर	1. श्री रूपलाल सलाम 2. श्री बृजमोहन देवांगन	ग्राम पो. रेमाबाड़ नारायणपुर
3.	उप जेल सुकमा	1. श्री बुद्धराम सोढ़ी 2. श्री लखमा राम मंडावी	सुकमा छिन्दगढ़
4.	उप जेल पेण्ड्रारोड	1. श्री पूरनलाल छाबरिया 2. श्री रामदुलारे साहू	पेण्ड्रा गौरेला बिलासपुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल, उप-सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय,-दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006

क्रमांक एफ 2-254/दो - गृह/रापुसे/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा नियम-2006 सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

(एक)1-संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ -,

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 होगा ।

(2) यह नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2- परिभाषायें -

इन नियमों में जब तक संवर्ग में अन्यथा अपेक्षित न हों :-

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत हैं - अनुसूची-एक में ''विनिर्दिष्ट प्राधिकारी'' ।

(ख)(1) ''चयन समिति'' से अभिप्रेत हैं - नियम-6(1)(क) के अधीन सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये राज्य शासन द्वारा गठित चयन समिति ।

(2) ''विभागीय पदौन्नति समिति'' से अभिप्रत है - अनुसूची-4 के उपबंध के अनुसार नियम-15 के अधीन गठित समिति ।

(ग) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है - इन नियमों के नियम-11 के अधीन भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा ।

(घ) ''प्रथम चरण'' से अभिप्रेत है - शारीरिक मापतौल के पश्चात् लिखित परीक्षा ।

(ङ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है - इन नियमों से संबंधित संलग्न अनूसची ।

(च) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है - भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनूसचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या किसी जाति, मूलवंश या जाति के भीतर कोई समूह ।

(छ) ''अनूसचित जनजाति'' से अभिप्रेत है - भारत के संविधान के अनुच्छेद-342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में अनूसचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कोई जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति या जनजाति समुदाय का कोई भाग जनजाति या जनजाति समुदाय के भीतर कोई समूह ।

(ज) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है - राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचनाओं में वर्णित पिछड़े वर्ग ।

(झ) ''राज्य'' से अभिप्रेत है - छत्तीसगढ़ राज्य ।

(ण) ''सेवा'' से अभिप्रेत है - छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सैवा ।

(ट) ''द्वितीय चरण'' से अभिप्रेत है - शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् साक्षात्कार ।

3- **विस्तार तथा लागू होना** -

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 (छत्तीसगढ़ राज्य में यथानुरुप ग्राहय) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे ।

4- **सेवा का गठन** -

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे - अर्थात

(1) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होनें पर अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः या स्थानापन्न हैसियत में धारण कर रहे हों ।

(2) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होनें के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ।

(3) वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5- **वर्गीकरण एंव वेतनमान इत्यादि** -

सेवा का वर्गीकरण सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगे । परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर या तो स्थाई आधार पर या अस्थाई आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी ।

6- **भर्ती पद्धति** -

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित पद्धति व्दारा की जावेगी - अर्थात

(क) सीधी भर्ती व्दारा प्रतियोगी परीक्षा में चयन व्दारा ।

(ख) अनूसची-4 के कालम-2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के ऐसे शासकीय सेवकों की पदौन्नति व्दारा ।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण व्दारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट हों मूल हैसियत में धारण करता हो ।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनूसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में वर्णित प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में किसी ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके व्दारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अवधारित की जावेगी ।

(4) उप नियम (एक) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यक्ताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती संबंधी उन पद्धतियो से भिन्न जो उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट है, ऐसी अन्य पद्धति अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश व्दारा विहित करें ।

(5) भर्ती के लिये इच्छुक अभ्यार्थियों को चयन प्रकिया में सम्मिलित होने के लिये प्रतियोगी परीक्षा हेतु सरकार व्दारा विहित किये गये प्रारुप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करना चाहिये ।

(6)-1 अभ्यार्थी को भर्ती हेतु आवेदन पत्र के प्रारुप में विशिष्ट रुप से उस कम में पद (पदों) का उल्लेख करना होगा, जिस पर वह नियुक्ति हेतु विचार किये जाने का

इच्छुक है । केवल ऐसे अभ्यार्थियों के नाम पर जिन्होनें विशिष्ट रूप से उप निरीक्षक (रेडियो), (अंगुलचिन्ह), (प्रश्नाधीन दस्तावेज), (फोटो), के पदों पर भर्ती के लिये अपनी सहमति अभिव्यक्त की है तथा जो अनूसूची-तीन में वर्णित अर्हताए रखते हों, पर विचार किया जावेगा ।

(6)-2 महिला अभ्यार्थी केवल महिला उप निरीक्षक, रेडियो, अंगुली चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज,फोटो, कम्प्यूटर एवं महिला सूबेदार के पदों के लिए भर्ती की पात्र होंगी । महिलाओं को प्लाटून कमाण्डर के लिए भर्ती की पात्रता नहीं होगी ।

(7) अभ्यार्थी व्दारा अपने आवेदन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी देने या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपानें पर उसे (अभ्यार्थी को) अनर्ह माना जावेगा । ऐसा कृत्य करनें पर अभ्यार्थी को सरकार के अधीन नियुक्ति (नियोजन) में या सेवा में निरन्तर बने रहने का अधिकार नहीं होगा तथा उसकी सेवा तत्काल बिना कोई सूचना दिये नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा समाप्त कर दी जावेगी ।

(8) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतियोगी परीक्षा व्दारा चयन की प्रकिया निम्नानुसार होगी - अर्थात

(8)-1 शारीरिक माप का मान - अभ्यार्थी का शारीरिक परीक्षण नियम-8 के उपनियम-2 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के अनुसार संपादित किया जावेगा; ।

टिप्पणी - शारीरिक माप के संबंध में किसी विवाद की दशा में जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(दो) <u>लिखित परीक्षा</u> -

(1)(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन फार्म निः शुल्क प्रदाय किये जावेंगे किन्तु सामान्य जाति के उम्मीदवारों से पचास रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जावेगी ।

(1)(ख) आवेदन फार्म जमा करते समय ही दस्तावेजों की जांच पूर्ण कर ली जावेगी तथा दस्तावेज सही पाये जाने पर आवेदक का शारीरिक नापजोख तत्काल ही किया जावे तथा प्रकिया में सम्मिलित होने संबंधी अनुमति पत्र केवल नापजोख में सफल पाये गये उम्मीदवारों को ही दिया जावेगा ।

(2) आवेदन पत्र जमा करते समय ही उम्मीदवारों का नापजोख किया जावेगा तथा इसमें योग्य पाये जाने पर उनका कम्प्यूटराइज्ड आब्जेक्टिव टाईप का पांरभिक लिखित परीक्षा होगा, जो 100 अंको की होगी तथा समय एक घंटे का होगा । इस परीक्षा परिणाम के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी, जिसमें से केवल रिक्त पदों के 15 गुना उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा ।

(क) <u>हिन्दी तथा अंग्रेजी में दक्षता</u> -

यह परीक्षा 300 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा सभी अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी । हिंदी के 200 अंक तथा अंग्रेजी के 100 अंक होंगे ।

(ख) <u>सामान्य ज्ञान</u> -

यह परीक्षा 200 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा सभी अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी ।

(ग) <u>सामान्य अध्ययन</u> -

यह परीक्षा 200 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट

सूबेदार, उप निरीक्षक तथा उप निरीक्षक (विशेष शाखा) के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन किया गया हो ।

(घ) **विज्ञान (गणित, भौतिकी और रसायन) परीक्षा** -
यह परीक्षा 300 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (रेडियो), (अंगुलचिन्ह), (प्रश्नाधीन दस्तावेज) के पदों पर भर्ती के लिये आवेदन किया गया हो ।

(ड.) **फोटोग्राफी परीक्षा** -
यह परीक्षा 300 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (फोटो) के पद पर भर्ती के लिये आवेदन किया हो ।

(च) **कम्प्यूटर विज्ञान की परीक्षा** -
यह परीक्षा 300 अंको की होगी तथा इसकी अवधि दो घंटे की होगी । यह परीक्षा केवल ऐसे अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य होगी, जो अनुसूची-तीन में यथा विनिर्दिष्ट उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पद पर भर्ती के लिये आवेदन किया हो ।

(तीन) **पृथक चयन सूचियां** -
अनुसूची-तीन में दर्शाये गये पदों के प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात सूबेदार, उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक (विशेष शाखा), (प्रश्नाधीन दस्तावेज), (अंगुल चिन्ह), (रेडियो), (फोटो), (कम्प्यूटर) के लिये तैयार की जावेंगी । प्रथम चरण की परीक्षा में प्राप्तांकों को जोड़कर ऐसे अभ्यार्थियों की पांच पृथक मेरिट लिस्टें तैयार की जावेंगी, जिनके संबंध में (1) उप निरीक्षक तथा उप निरीक्षक (विशेष शाखा) (2) सूबेदार तथा प्लाटून कमांडर (3) उप निरीक्षक (रेडियो), (अंगुल चिन्ह), (प्रश्नाधीन दस्तावेज) (4) उप निरीक्षक (फोटो) (5) उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) के पदों पर विचार किया जाना हो । आरक्षण के उपबंध के अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों के पांच गुना संख्या में अभ्यार्थी द्वितीय चरण की परीक्षा के लिये पात्र होंगे । अंतिम अभ्यार्थी जिस पर पांच गुना संख्या पूर्ण होती है तथा ऐसे अभ्यार्थियों को, जिन्होंने आरक्षण प्रवर्ग में इस अभ्यार्थी से अधिक अथवा बराबर अंक प्राप्त किये हैं, द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जावेगा । भले ही अभ्यार्थियों की संख्या पांच गुना से अधिक हो जाती हो ।

(चार) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** -
शारीरिक दक्षता परीक्ष के दौरान शारीरिक नापजोख दोबारा किया जावेगा । **(इस विषय में कोई प्रश्न उत्पन्न होने की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा)** । यह परीक्षण (टेस्ट) सभी अभ्यार्थियों के लिये अनिवार्य है, जो कुल 200 अंको का होगा और इसमें निम्नलिखित मदें (आयटम) सम्मिलित होंगे :-

(क)	लम्बी कूद.	40 अंक.
(ख)	ऊँची कूद.	40 अंक.
(ग)	गोला फेंक.	40 अंक.
(घ)	100 मीटर दौड़.	40 अंक.
(ड.)	1500 मीटर दौड़.	40 अंक.

प्रत्येक परिणाम के लिये दिये जाने वाले अंको का विस्तृत विवरण अनुसूची-पांच में विनिर्दिष्ट किये गये है। परन्तु उप निरीक्षक(कम्प्यूटर) के पद हेतु उपरोक्त स्पर्धाएं केवल क्वालीफाइगं होगी एवं इनके लिये कोई अंक नही दिये जावेंगे।

(पॉच) साक्षात्कार :-

साक्षात्कार 100 अंको का होगा।

(छ) बोनस अंक :-

अभ्यार्थियों को नीचे दिये अनुसार उल्लेखित पदों के लिये निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताओं के प्रत्येक प्रवर्ग के लिये निर्धारित/अधिकतम 20 अंक के अध्यधीन 10 बोनस अंक दिये जावेगें।

(क)	एन0सी0सी0 ''सी'' प्रमाण पत्र	सभी पदों के लिये।
(ख)	एल0एल0बी0 उपाधि,फोरेंसिक विज्ञान/अप0 विज्ञान में पत्रोपाधि/उपाधि.	उपनिरी0 के पदों के लिये।
(ग)	फोरेंसिक विज्ञान उपाधि/पत्रोपाधि.	उपनिरी0(अंगुलीचिन्ह/प्रश्नाधीन दस्तावेज/फोटो)
(घ)	शारीरिक शिक्षा पत्रोपाधि/उपाधि.	सूबेदार तथा प्लाटून कमांडर पद हेतु.
(ड.)	इलेक्ट्रानिक्स/दूरसंचार/ में उपाधि.	उप निरीक्षक (रेडियो) हेतु.
(च)(01)	शासकीय या मान्यता प्राप्त वि0वि0 से एम.सी.ए. या समतुल्य उपाधि. (02) शासकीय या मान्यता प्राप्त विश्वविघालय से एल.एल.बी. की उपाधि.	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) हेतु.

7- सेवा में नियुक्ति -

इन नियमों के प्रयुक्त होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा की जावेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियुक्ति नियम-6 में विनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धतियों में से किसी एक पद्धति व्दारा चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं ।

8- सीधी भर्ती के लिये अभ्यार्थियों की पात्रता की शर्ते -

सीधी भर्ती के लिये अभ्यार्थियों की पात्रता के लिये निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी - अर्थात

(1) आयु -

(क) परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक के बाद की आगामी जनवरी के प्रथम दिन को उसने अनुसूची-तीन के कालम-4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम-5 में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो ।

(ख) यदि अभ्यार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा अधिक से अधिक पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(ग) उन अभ्यार्थियों की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, अधिकतम आयुसीमा उस सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जा सकेगी :-

(1) कोई अभ्यार्थी जो स्थाई शासकीय सेवक हो, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये ।

(2) यदि कोई अभ्यार्थी जो अस्थाई पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा है, 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये । यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी अनुज्ञेय होगी ।

(3) कोई अभ्यार्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो उसे अपनी आयु में से उसके व्दारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की भले ही वह एक से अधिक बार में की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुज्ञा दी जावेगी बशर्ते कि इसके परिणामस्वरुप जो आयु हो वह अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण :- शब्द 'छटनी' किये गये शासकीय सेवक से घोतक है - ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संगठन इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में निरंतर कम से कम 6 माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देने के दिनांक से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो ।

(घ) कोई अभ्यार्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके व्दारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करनें की अनुज्ञा दी जावेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरुप जो आयु हो वह अधिकतम आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण :- शब्द 'भूतपूर्व-सैनिक' ऐसे व्यक्ति का घोतक है - जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की निरंतर कालावधि तक सेवा करता रहा हो तथा जिसका किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण करानें अथवा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन देनें के दिनांक से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरुप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामन्य रुप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :-

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आउट (Mustering out concession) कन्सेशन के अधीन सेवा मुक्त किया गया हो ।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो और अब -

(क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर ।

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो ।

(3) संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक अथवा असैनिक) जिसमें (अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी) भी सम्मिलित हैं ।

(4) अवकाश रिक्तियों पर निरंतर 6 माह से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त किये गये अधिकारी ।

(क) किसी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) शासन निर्देशानुसार महिलाओं के लिए 10 प्रतिशत कम्पार्टमेण्टवाईश होरीजेंटल आरक्षण रहेगा ।

(ङ.) विधवा, परित्यकता एंव तलाकशुदा महिला अभ्यार्थियों के लिये सामान्य अधिकतम आयुसीमा 35 वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक अभ्यार्थियों के लिये भी अधिकतम आयुसीमा 2 वर्ष तक शिथिल की जावेगी । 02 जीवित बच्चे तक नसबंदी ऑपरेशन कराने संबंधी स्वास्थ्य विभाग व्दारा दिया गया प्रमाण - पत्र भी आयुसीमा में छूट के लिए मान्य किया जावेगा ।

(छ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरूस्कृत दम्पतियों के संवर्ग साथी के संबंध में सामान्य अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(ज) 'विक्रम पुरूस्कार' प्राप्त खिलाड़ी अभ्यार्थियों के संबंध में भी अधिकतम आयुसीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जावेगी ।

(झ) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मंडल के कर्मचारी हो, को अधिकतम आयुसीमा 36 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा ।

(ण) स्वंयसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान-कमींशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयुसीमा उनके व्दारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि तक 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जावेगी किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये ।

टिप्पणी- (1) उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) तथा (2) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अंतर्गत जिन अभ्यार्थियों को चयन के लिये सम्मिलित किया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पंश्चात् या चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् इनकी सेवा या पद से छटनी की जावे तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे ।

टिप्पणी- (2) किसी भी अन्य मामले में आयुसीमा शिथिल नहीं की जावेगी । विभागीय अभ्यार्थियों को चयन प्रकिया में उपसंजात होनें के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी ।

2- **<u>शारीरिक अर्हता</u>** -

अभ्यार्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हतायें अवश्य ही होनी चाहिये :-

(क) ऊँचाई - 168 सेंमी या उससे अधिक (पुरूष अभ्यार्थियों के लिये)
153 सेंमी या उससे अधिक (केवल महिलाओं के लिये)

(ख) सीना- बिना फुलाये 81 सेंमी तथा फुलानें पर 86 सेंमी.
(अभ्यार्थी का सीना फुलाने एंव बिना फुलानें में कम से कम 5 सेंमी का अंतर होना आवश्यक है । इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी) महिलाओं के सीने का माप नहीं होगा ।

(ग) अभ्यार्थी को शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिये ।

(घ) 'नॉकनी' एवं फ्लेट फुट संबंधी अर्हतायें सूबेदार एवं उप निरीक्षक के लिए भी अनिवार्य होगा । साथ ही सभी उम्मीदवारों को चिकित्सकीय दृष्टि से योग्य होना चाहिये। अभ्यार्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नही होना चाहिये । आंखों की दृष्टि तीवता बिना चश्में के 6/9 तथा दूसरी आंख की तीवता बिना चश्में के 6/12 ये कम नहीं होना चाहिए । मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यार्थी को सक्षम होना चाहिए ।

3- <u>शैक्षणिक योग्यता</u> -

अभ्यार्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाये गये सेवा के लिये निहित अर्हतायें होनी चाहिये, परन्तु -

(क) अपवादित मामलों में समिति, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यार्थी को अर्ह मान सकेगी, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में निहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो किन्तु जिसनें अन्य संस्थाओं व्दारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उततीर्ण की हो जो समिति की राय में अभ्यार्थी को परीक्षा/चयन के विचारण के लिये पात्र बनाती हो ।

(ख) समिति अपने विवेकानुसार ऐसे अभ्यार्थियों को भी परीक्षा/चयन में सम्मिलित कर सकेगी जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होनें ऐसे विदेशी विश्वविघालयों से उपाधियां प्राप्त की हो, जो शासन व्दारा विनिर्दिष्ट रुप से मान्यता प्राप्त न हो ।

<u>अयोग्यता</u> -

अभ्यार्थी की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करनें हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा परीक्षा/चयन में सम्मिलित करने के लिये उसे अयोग्य बनाने वाला माना जावेगा ।

10- <u>अभ्यार्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा</u> -

परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यार्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के संबंध में किसी भी अभ्यार्थी को जिसे समिति व्दारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / साक्षात्कार में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

11- <u>प्रतियोगी परीक्षा व्दारा सीधी भर्ती</u> -

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों में होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें ।

(2) <u>चयन व्दारा</u> -

(क) अनुसूची-दो में दर्शाई गई सेवा में सम्मिलित पदों की भर्ती के लिये अभ्यार्थियों का चयन अंतरालों से किया जावेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित करें ।

(ख) सेवा में सम्मिलित पदों के लिये अभ्यार्थियों का चयन, चयन समिति व्दारा साक्षात्कार लेकर किया जावेगा ।

(3) <u>सीधी भर्ती के लिये</u> -

इसके लिये उपलब्ध रिक्तियों में से उन अभ्यार्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जावेंगे, जो मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम-1994 (क-2 सन-1994) जो छत्तीसगढ़ राज्य में यथानुरुप ग्राहय हैं, के प्रावधानों और राज्य शासन व्दारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यार्थियों की जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी कम से किया जावेगा, जिस कम से उनके नाम नियम-12 में विनिर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यार्थियों की सूची में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के उन अभ्यार्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा योग्य घोषित किया गया हो । यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों के लिये उपनियम-(3) के अधीन आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) कुल रिक्त पदों की संख्या का 5 प्रतिशत पद विभागीय अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे, किन्तु विभागीय अभ्यार्थी न मिलने पर अन्य उम्मीदवारों से पद की पूर्ति की जावेगी ।

12- <u>समिति व्दारा सिफारिश किये गये अभ्यार्थियों की सूची</u> -

(1) समिति अपने व्दारा निश्चय किये गये स्तर के अनुसार योग्य उम्मीदवारों की योग्यता कम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के अन्य अभ्यार्थियों की सूची जो उक्त मानक के अनुसार योग्य नहीं है किन्तु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का उचित ध्यान रखते हुए समिति व्दारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किये गये हों, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा । सर्वसाधारण की जानकारी के लिये सूची को प्रकाशित भी किया जावेगा । एक समान प्रवर्ग वाले, एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले, एक समान जन्म तिथि वाले सभी अभ्यार्थियों के नाम उपर उल्लेखित सूची में सम्मिलित किये जावेंगे ।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामन्य शर्ते) नियम-1961 के उपबंधें के अधीन रहते हुए उपबंध रिक्तियों पर अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिये सूची में से उसी कम में विचार किया जावेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हों । वास्तविक रिक्त पदों के अतिरिक्त आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए 25 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची भी बनाई जावेगी ।

(3) सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जावे कि अभ्यार्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13- <u>चयन सूची से सेवा में नियुक्ति</u> -

(1) सीधी भर्ती के लिये अंतिम गुणागुण सूची (मेरिट लिस्ट) लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंको तथा बोनस अंकों के आधार पर तैयार की जावेगी । नियुक्तियां पदों की उपलब्धता के अधीन अभ्यार्थी व्दारा दी गई प्राथमिकता के आधार पर गुणागुण सूची (मेरिट-लिस्ट) से की जावेगी । परन्तु यह कि, केवल उन्ही अभ्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जावेगा, जिन्होनें शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों । परन्तु यह कि, ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के संबंध में जिनके नियुक्ति प्रमाण पत्र में चिकित्सा प्रवर्ग 'ख' से कम न हो और चरित्र का मूल्यांकन 'अनुकरणीय' के रूप में किया गया हो, नियुक्ति के लिये विचार किया जावेगा भले ही उसने शारीरिक दक्षता परीक्षाओं में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक ही प्राप्त किये हों । परन्तु उप निरीक्षक कम्प्यूटर के लिय नियम 6 (8)(चार) के अनुसार मेरिट लिस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों द्वारा अन्य समस्त परीक्षाओं (लिखित,साक्षात्कार एवं बोनस अंक सहित) में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जावें।

(2) एक समान कुल अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी जन्मतिथि के आधार पर निश्चित की जावेगी । अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को वरिष्ठ माना जावेगा ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा चयन सूची जारी किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक विधि मान्य होगी ।

14- <u>परिवीक्षा अवधि तथा प्रशिक्षण</u> -

(1) ऐसे प्रत्येक अभ्यार्थी को जिसका उक्त नियम-12 में निर्दिष्ट सूची से चयन किया गया हो तथा जिसे उचित समझी गई जांच के पश्चात् नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया हो, सेवा में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा । यदि कोई अभ्यार्थी जिसे परिवीक्षा पर नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया हो, दी गई दिनांक तथा स्थान पर प्रशिक्षण के लिये उपस्थित नहीं होता है, तो पुलिस महानिदेशक के आदेश व्दारा ऐसे अभ्यार्थी का नाम प्रवर-सूची से हटाया जा सकेगा तथा सक्षम प्राधिकारी यह आदेश जारी कर सकेगा कि वह उस अभ्यार्थी के नियुक्ति प्रस्ताव जारी करें, जिसका नाम गुणागुण-सूची में ठीक नीचे दिया गया है तथा जिसे ऐसे प्रस्ताव के लिये अन्यथा उपयुक्त पाया गया है ।

(2) प्रशिक्षण में प्रवेश लेने पर प्रत्येक अभ्यार्थी को राज्य शासन व्दारा निर्धारित वर्दी की अनुमानित लागत और सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को केवल सुरक्षा निधि (काशन-मनी) जमा करना होगा ।

(3) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य इकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जावेगा । निर्धारित लिखित, मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा में असफल रहने तथा समय-समय पर निर्धारित मानदण्डों व्दारा प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा न कर पाने की स्थिति में परिवीक्षा कालावधि बढ़ाई जा सकेगी तथा उसे सेवा से मुक्त भी किया जा सकता है ।

14- <u>वरिष्ठता तथा परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण</u> -

वरिष्ठता सेवा अथवा उस सेवा की एक शाखा अथवा पदों के समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित की जावेगी, अर्थात -

(1) <u>सीधी भर्ती तथा पदौन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता</u> -

(क) नियमों के अनुसार किसी भी पद पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख पर ध्यान दिये बिना नियुक्ति हेतु अनुशंसित योग्यता कम के आधार पर निर्धारित की जावेगी । पूर्व में किये गये चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्ति, पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे ।

(ख) जहां कहीं विभागीय पदौन्नति समिति व्दारा किये गये चयन के आधार पर पदौन्नतियां की जानी हैं, वहां ऐसे पदौन्नत व्यक्तियों की वरिष्ठता समिति व्दारा ऐसी पदौन्नति के लिये अनुशंसित कम में निर्धारित की जावेगी ।

(ग) जहां अनुपयुक्त के अस्वीकरण अभ्यार्थी वरिष्ठता के आधार पर पदौन्नतियां की जाती हैं, वहां उसी समय पदौन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वहीं रहेगी जैसाकि उस निचले संवर्ग में सापेक्षित वरिष्ठता थी, जिससे उन्हें पदौन्नत किया गया है तथापि यदि किसी व्यक्ति को पदौन्नति के लिये अनुपयुक्त समझा जाता है तथा कनिष्ठ व्यक्ति व्दारा अधिकमित किया जाता है और यदि ऐसे व्यक्ति ~~को~~ बाद में उपयुक्त पाये जाने पर पदौन्नत किया जाता है तो

उसे उच्चतर संवर्ग में ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों, जिन्होनें उसे अधिक्रमित किया था, से उपर वरिष्ठता प्राप्त नहीं होगी ।

(घ) ऐसे किसी व्यक्ति जिसका मामला वार्षिक चरित्रावली के अभाव में या किन्हीं अन्य कारणों में विभागीय पदौन्नति समिति व्दारा स्थगित कर दिया गया था किन्तु बाद में उसे उसी दिनांक से जिससे उससे कनिष्ठ व्यक्ति को पदौन्नत किया गया था, पदौन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया हो, तो उसकी वरिष्ठता की गणना प्रवर सूची में उसके आसन कनिष्ठ व्यक्ति की पदौन्नति के दिनांक से या विभागीय पदौन्नति समिति व्दारा उसे पदौन्नति के लिये उपयुक्त पाये जाने के दिनांक से की जावेगी ।

(ड.) सीधी भर्ती तथा पदौन्नत व्यक्तियों के बीच सापेक्षित वरिष्ठता नियुक्ति / पदौन्नति आदेश जारी करने के दिनांक से निर्धारित की जावेगी । परन्तु यह कि, यदि किसी व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति से पहले रोस्टर के आधार पर नियुक्त / पदौन्नत किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता उपयुक्त प्राधिकारी व्दारा तैयार की गई गुणागुण/प्रवर/उपयुक्त सूची के अनुसार निर्धारित की जावेगी ।

(च) यदि सीधी भर्ती वाले व्यक्ति की परिवीक्षा की कालावधि या किसी पदौन्नत व्यक्ति की परीक्षण कालावधि बढ़ाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्या उसे वही वरिष्ठता दी जानी चाहिये, जो उसे परिवीक्षा / परीक्षण की सामान्य कालावधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने पर दी जाती अथवा क्या उसे निम्नस्तर वरिष्ठता दी जानी चाहिये ।

(छ) यदि सीधी भर्ती तथा पदौन्नति के आदेश एक ही दिनांक को जारी किये जाते हैं तो पदौन्नत व्यक्तियों को सीधी भर्ती किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठ माना जावेगा ।

(2) <u>अंतरित व्यक्तियों की वरिष्ठता</u> -

(क) राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतरण व्दारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सापेक्षित वरिष्ठता ऐसे अंतरण के लिये उनके चयन के आदेशानुसार निर्धारित की जावेगी ।

(ख) जहां किसी व्यक्ति की नियुक्ति भर्ती नियम के अनुसार अंतकरण व्दारा की गई हो, बशर्ते कि वह अंतरण सीधी भर्ती या पदौन्नति व्दारा उपयुक्त अभ्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण किया गया हो, ऐसी स्थिति में ऐस अंतरित व्यक्ति को सीधी भर्ती या पदौन्नत व्यक्तियों के साथ, यथास्थिति वर्गीकृत किया जावेगा तथा उसे उसी अवसर पर चुने गये सभी सीधी भर्ती या पदौन्नत व्यक्तियों के नीचे यथास्थिति स्थान दिया जावेगा ।

(ग) ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे आरम्भ में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो तथा बाद में उसे समावेश कर लिया गया हो (अर्थात जहां ''प्रतिनियुक्ति अंतरण के आधार पर अंतरण'' के लिये संगत भर्ती नियम उपलब्ध हो) तो समावेशन किये गये संवर्ग में उनकी वरिष्ठता की गणना सामान्यतः समावेश के दिनांक से की जावेगी तथापि यदि वह पहले से ही अपने मूल विभाग नियमित आधार पर उसी अथवा समकक्ष संवर्ग में पदधारण कर रहा हो (समावेश के दिनांक को) तो की वरिष्ठता निधारित करते समय संवर्ग में की गई ऐसी नियमित सेवा की गणना भी की जावेगी किन्तु उसे शर्त के अधीन प्रतिनियुक्ति पर पदधारण करने के दिनांक से अथवा अपने वर्तमान विभाग में उसी या समकक्ष संवर्ग में नियमित आधार पर नियुक्त किये जाने के दिनांक से जो भी बाद में हो, वरिष्ठता दी जावेगी ।

स्पष्टीकरण - तथापि उक्त नियम के अनुसार अंतरित व्यक्ति की वरिष्ठता का निर्धारण ऐसे समावेश के दिनांक से पहले अगले उच्चतर संवर्ग में की गई किन्हीं नियमित

पदोन्नतियों को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में यह केवल समावेश के पश्चात् उच्चतर संवर्ग में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए किया जावेगा।

(3) <u>विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता</u> -

(क) ऐसे मामलों में जहां किसी शासकीय सेवक पर निचली सेवा संवर्ग या पद पर पदावन्नति की शास्ति अधिरोपित की गई हो और ऐसी पदावन्नति विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की गई हो तथा इससे भविष्य में मिलने वाली वेतन वृद्धियां स्थगित न की जाती हो, तो जब तक कि दण्डादेश की शर्तों में अन्यथा उपबंधित न हो, शासकीय सेवक की वरिष्ठता उच्चतर सेवा संवर्ग या पद अथवा उक्त समय मान में उसी प्रकार निर्धारित की जावेगी जैसा कि उसके पदावन्नति न होने की स्थिति में की जाती है ।

(ख) जहाँ पदावनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिये की गई हो तथा इससे भावी वेतन वृद्धियां स्थगित की जानी हो, तो शासकीय सेवक की वरिष्ठता जब तक कि दण्डादेश की शर्तों में उपबंधित न हो, पुर्नपदौन्नति होनें पर उच्चतर सेवा संवर्ग या पद अथवा उच्चतर समयमान में उसके व्दारा की गई सेवा के आधार पर निर्धारित की जावेगी ।

(ग) अतिशेष कर्मचारी नये कार्यालय में अपनी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पिछले कार्यालय में की गई सेवा का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे । ऐसे कर्मचारियों को उनकी वरिश्ठता के मामले में नई भर्ती माना जावेगा ।

(घ) जब किसी कार्यालय में विशिष्ट संवर्ग के दो या अधिक अतिशेष कर्मचारियों का चयन दूसरे कार्यालय में संवर्ग में समावेश के लिये अलग-अलग दिनांको पर किया जाता है तो बाद वाले कार्यालय में उसकी परस्पर वरिष्ठता वही होगी जो पिछले कार्यालय में थी, परन्तु यह कि -

(1) इन दिनांको के बीच उस संवर्ग में नियुक्ति के लिये किसी सीधी भर्ती वाले व्यक्ति का चयन नहीं हुआ हो ।

(2) इन दिनांको के बीच उस संवर्ग में नियुक्ति के लिये किसी पदौन्नत व्यक्ति का अनुमोदन न किया गया हो ।

14- <u>कर्मचारियों की वरिष्ठता बाबत</u> -

(क) तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उसे सेवा में नियमित किये जाने तक कोई वरिष्ठता नहीं दी जावेगी ।

(ख) यदि किसी व्यक्ति को भर्ती नियमों में दी गई प्रकिया का मूलतः पालन करते हुए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार उसे सेवा में नियमित किये जाने तक लगातार पद पर बना रहता है तो वरिष्ठता के लिये स्थानापन्न सेवा अवधि की गणना की जावेगी ।

15- <u>पदौन्नति व्दारा नियुक्ति बाबत्</u> -

(1) पात्र अभ्यार्थियों का पदौन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जावेगी, जिसमें अनुसूची-चार में वर्णित सदस्य होंगे तथापि यदि पदौन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर नाम निर्देशित किये गये अन्य सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो समतुल्य रेंक के एक और अधिकारी को विभागीय पदौन्नति समिति में सम्मिलित किया जावेगा और विभागीय पदौन्नति समिति की सदस्य संख्या अपेक्षित सीमा तक बढ़ाई गई समझी जावेगी ।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः कम से कम एक वर्ष में एक बार होगी ।

(3) ऐसे पदों में, जिसमें अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट पदौन्नति का प्रतिशत 23 प्रतिशत या उससे अधिक हो, पदौन्नति के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत रिक्त स्थान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन अभ्यार्थियों के लिये आरक्षित रखे जावेंगे जो नियम-16 के उपबंधों के अनुसार पदौन्नति के लिये पात्र हैं ।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदौन्नति करनें के लिये प्रकिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार होगी ।

16- <u>पदौन्नति के लिये पात्रता की शर्तें</u> -

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेंगी, जिन्होनें उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर जिसमें कि पदौन्नति की जानी है, उतनें वर्षो की सेवा चाहे स्थानापन्न या अधिष्ठायी रूप से पूर्ण कर ली हो, जितनी कि अनुसूची-चार के कालम-चार में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम-2 के उपबंधों के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

(2) उन मामलों में जहां पदौन्नति उपयुक्तता के अध्यधीन रहते हुए ज्येष्ठता सह योग्यता के आधार पर अथवा जिन में अनुपयुक्त व्यक्तियों को छोड़ कर ज्येष्ठता के आधार पर पदौन्नति की जानी हो वहां कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा । प्रत्येक संवर्ग के केवल उतनी ही संख्या में शासकीय कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार किया जावेगा जो आगामी एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त हो ।

17- <u>उपयुक्त अभ्यार्थियों की सूची तैयार करना</u> -

(1) विभागीय पदौन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर उल्लेखित नियम-16 में निर्धारित शर्तो को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति नें सेवा में पदौन्नति के लिये उपयुक्त ठहराया हो । यह सूची, चयन सूची तैयार करने के दिनांक से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त तथा पदौन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी । पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची भी तैयार की जावेगी ।

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिये चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा, जिसमें गुणा-गुण तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर सम्यक ध्यान रखा जावेगा ।

(3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम की प्रत्येक ऐसी चयन सूची तैयार किये जाने के समय अनुसूची-चार के कालम-2 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता कम में रखे जावेंगे ।

स्पष्टीकरण - ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जो सूची की विधि मान्यता के दौरान पदौन्नत न किया जा सका हो, केवल उसे पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर, जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा ।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुर्नविलोकन तथा पुनरीक्षण किया जावेगा ।

(5) यदि चयन पुर्नविलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रकिया में सेवा के किसी सदस्य को अधिकमित किया जाना प्रस्तावित किया जावे तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के लिये इसका कारण अभिलिखित करेगी ।

18- <u>चयन सूची</u> -

(1) नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति व्दारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगी और जब तक वह कोई परिवर्तन करना आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह (नियुक्ति प्राधिकारी) प्रस्तावित परिवर्तनों को समिति को सूचित करेगा तथा समिति की टिप्पणियों (समीक्षा) यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप से ऐसे उपांतरणों, यदि कोई हो, के साथ अनुमोदित करेगा, जो उनकी राय में न्यायपूर्ण एंव उचित हो ।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी व्दारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची उक्त अनुसूची के कालम-3 में वर्णित पदों पर अनुसूची-चार के कालम-2 में वर्णित पदों में सेवा के सदस्यों की पदौन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(4) चयन सूची सामान्यतः एक वर्ष के लिये या तब तक प्रवृत्त रहेगी, जब तक कि नियम-17 के उपनियम-4 के अनुसार उसका पुर्नविलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधि मान्यता उसके तैयार किये जाने के दिनांक से 18 माह की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जावेगी परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के पालन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुर्नविलोकन किया जा सकेगा और विभागीय पदौन्नति समिति यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी ।

19- <u>चयन सूची से सेवा में नियुक्ति</u> -

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों को सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी कम से की जावेगी, जिस कम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों ।

(2) जहां प्रशासनिक अत्यावश्यक्ता के कारण ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन को यह समाधान हो जावे कि रिक्त स्थान तीन माह से अधिक के लिये संभाव्य नहीं है ।

(3) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुवित के पूर्व विभागीय पदौन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति के दिनांक के बीच की कालावधि के दौरान उसे कार्य में कोई गिरावट आ गई है, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हैं जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त बनाती हो ।

20- <u>निर्वचन</u> -

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जावेग, जिस पर उनका विनिश्चय अंतिम होगा ।

21- <u>शिथिलीकरण</u> -

इस नियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जावेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसको ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करनें की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है, परन्तु मामले में ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जावेगी जोकि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

निरसन तथा व्यावृत्ति–

इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहले लागू सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते है परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जावेगा कि यह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एन. एक्का, अवर सचिव.

:: अनुसूची-एक ::
(नियम-पांच देखिये)
सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

सक.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम.	पदों की वर्गीकरण संख्या.	वेतनमान.	नियुक्ति प्राधिकारी.
1-	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	5500-175-9000.	पुलिस महानिरीक्षक.
2-	कंपनी कमांडर.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	5500-175-9000.	पुलिस महानिरीक्षक.
3-	सूबेदार.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	5000-150-8000.	पुलिस महानिरीक्षक.
4-	उप निरीक्षक.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
5-	उप निरीक्षक (रेडियो)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
6-	उप निरीक्षक (अं0चिन्ह)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
7'	उप निरीक्षक (क्यू/डी)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
8-	महिला उप निरीक्षक.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
9-	प्लाटून कमांडर.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4500-125-7000.	पुलिस महानिरीक्षक.
10-	सहायक उप निरीक्षक.	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी.	4000-100-6000.	पुलिस महानिरीक्षक.
11-	उप निरीक्षक(कम्प्यूटर)	राज्य पुलिस सेवा तृतीय श्रेणी	4500-125-7000	पुलिस महानिरीक्षक

:: अनुसूची-दो ::
(नियम-छः देखिये)

विभाग का नाम.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम.	कर्तव्य पदों की कुल संख्या.	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भर्ती.	सेवा में कार्यरत सदस्यों की पदोन्नति व्दारा.
गृह (पुलिस) छत्तीसगढ़ पुलिस अराजपत्रित सेवा.	निरीक्षक/रक्षित निरीक्षक.	-	-	100 प्रतिशत.
--''--	कंपनी कमांडर.	-	-	100 प्रतिशत.
--''--	सूबेदार.	-	100 प्रतिशत.	-
--''--	उप निरीक्षक.	-	67 प्रतिशत.	33 प्रतिशत.
--''--	उप निरीक्षक (रेडियो)	-	50 प्रतिशत.	50 प्रतिशत.
--''--	उप निरीक्षक (अं०चिन्ह)	-	67 प्रतिशत.	33 प्रतिशत.
--''--	उप निरीक्षक (क्यूडी)	-	67 प्रतिशत.	33 प्रतिशत.
--''--	महिला उप निरीक्षक.	-	67 प्रतिशत.	33 प्रतिशत.
--''--	प्लाटून कमांडर.	-	40 प्रतिशत.	60 प्रतिशत.
--''--	सहायक उप निरीक्षक.	-	-	100 प्रतिशत.
--''--	उपनिरीक्षक (कम्प्यूटर)	-	60 प्रतिशत	40 प्रतिशत (डाटा-एण्ट्री ऑपरेटर के पद से)

: : अनुसूची-तीन : :

(नियम-आठ देखिये)

विभाग का नाम.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम.	न्यूनतम आयुसीमा.	अधिकतम आयुसीमा.	विहित शैक्षणिक अर्हता.
गृह (पुलिस) विभाग.	सूबेदार.	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.
--''--	उप निरीक्षक.	18	28	--''--
--''--	उप निरीक्षक (विशेष शाखा)	18	28	--''--
--''--	उप निरीक्षक (रेडियो)	18	28	शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से इलेक्ट्रीकल/ इलेक्ट्रानिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा.
--''--	उप निरीक्षक (अंगुलचिन्ह)	18	28	शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के साथ स्नातकया उसके समतुल्य उपाधि.
--''--	उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज)	18	28	--''--
--''--	महिला उप निरीक्षक.	18	28	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समकक्ष.
--''--	प्लाटून कमांडर.	18	28	--''--
--''--	उपनिरीक्षक(कम्प्यूटर)	18	28	शासकीय या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीसीए / बीएससी कम्प्यूटर) या समतुल्य उपाधि

:: अनुसूची-चार ::

(नियम-15 देखिये)

विभाग का नाम.	उस पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जाना है.	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है.	पदोन्नति हेतु न्यूनतम निर्धारित सेवाकाल.	विभागीय पदोन्नति समिति.
गृह (पुलिस) विभाग.	उप निरीक्षक.	निरीक्षक.	08 वर्ष सीधी भर्ती तथा 05 वर्ष पदोन्नत हेतु - नक्सली क्षेत्रों में लगातार 06 वर्ष तथा 04 वर्ष सेवा पूर्ण करनें वालों को कमशः दो एंव एक वर्ष की छूट.	पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित एक पु0म0नि0 अध्यक्ष तथा दो उ0म0नि0 स्तर के अधिकारी सदस्य.
--''--	सूबेदार.	रक्षित निरीक्षक.	तीन वर्ष.	--''--
--''--	प्लाटून कमांडर.	कंपनी कमांडर.	08 वर्ष सीधी भर्ती तथा 05 वर्ष पदोन्नत हेतु - नक्सली क्षेत्रों में लगातार 06 वर्ष तथा 04 वर्ष सेवा पूर्ण करनें वालों को कमशः दो एंव एक वर्ष की छूट.	पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकि तीन उ0म0नि0 स्तर के अधिकारी - वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे.
--''--	सहायक उप निरीक्षक.	उप निरीक्षक.	तीन वर्ष.	पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकि तीन उ0म0नि0 स्तर के अधिकारी - वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे.
--''--	सहायक प्लाटून कमांडर.	प्लाटून कमांडर.	तीन वर्ष.	पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकि तीन उ0म0नि0 स्तर के अधिकारी - वरिष्ठ अधिकारी अध्यक्ष होंगे.
--''--	डाटा-एण्ट्री ऑपरेटर	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	8 वर्ष एवं बीसीए / बीएससी कम्प्यूटर या समतुल्य डिग्री प्राप्त करने या होने पर 6 वर्ष	तीन उमनि संवर्ग के अधिकारी जिनमें से वरिष्ठ अध्यक्ष होंगे (पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित)
--''--	उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)	निरीक्षक (कम्प्यूटर)	8 वर्ष सीधी भर्ती एवं 5 वर्ष विभागीय पदोन्नति	अध्यक्ष पुमनि एवं दो सदस्य उमनि संवर्ग के (पुलिस महानिदेशक व्दारा नामांकित

:: अनुसूची - पांच ::

सक.	मद आयटम पुरुष अभ्यार्थी.	अंक.	मद आयटम महिला अभ्याथी.	अंक.
1-	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**40**	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**40**
	12 फिट (3.66 मीटर)	00	08 फिट (2.44 मीटर)	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	08	10 फिट (3.05 मीटर)	08
	16 फिट (4.88 मीटर)	16	12 फिट (3.66 मीटर)	16
	17 फिट (5.18 मीटर)	24	13 फिट (3.96 मीटर)	24
	18 फिट (5.49 मीटर)	32	14 फिट (4.27 मीटर)	32
	19 फिट (5.79 मीटर) या इससे अधिक.	40	15 फिट (4.57 मीटर) या इससे अधिक.	40
2-	**उँची कूद (तीन प्रयास)**	**40**	**उँची कूद (तीन प्रयास)**	**40**
	04 फिट (1.22 मीटर)	00	03 फिट (0.91 मीटर)	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मी)	08	03 फिट 02 इंच (0.97 मी)	08
	04 फिट 04 इंच (1.32 मी)	16	03 फिट 04 इंच (1.02 मी)	16
	04 फिट 06 इंच (1.37 मी)	24	03 फिट 06 इंच (1.07 मी)	24
	04 फिट 08 इंच (1.42 मी)	32	03 फिट 08 इंच (1.12 मी)	32
	04 फिट 10 इंच (1.47 मी)	40	03 फिट 10 इंच (1.17 मी)	40
3-	**गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पौन्ड.**	**40**	**गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पौन्ड.**	**40**
	04 मीटर.	00	04 मीटर.	00
	05 मीटर.	08	05 मीटर.	08
	06 मीटर.	16	06 मीटर.	16
	07 मीटर.	24	07 मीटर.	24
	08 मीटर.	32	08 मीटर.	32
	09 मीटर या अधिक.	40	09 मीटर या अधिक.	40
4-	**100 मीटर दौड़.**	**40**	**100 मीटर दौड़.**	**40**
	12.5 सेकेण्ड या कम.	40	14.5 सेकेण्ड या कम.	40
	13.5 सेकेण्ड.	32	15.5 सेकेण्ड.	32
	14.5 सेकेण्ड.	24	16.5 सेकेण्ड.	24
	15.5 सेकेण्ड.	16	17.5 सेकेण्ड.	16
	16.5 सेकेण्ड.	08	18.5 सेकेण्ड.	08
	20 सेकेण्ड से अधिक.	00	22 सेकेण्ड से अधिक.	00
5-	**दौड़ 1500 मीटर**	**40**	**दौड़ 1500 मीटर**	**40**
	5 मिनिट	40	6 मिनिट	40
	5 मिनिट 10 सेकेण्ड	32	6 मिनिट 10 सेकेण्ड	32
	5 मिनिट 20 सेकेण्ड	24	6 मिनिट 20 सेकेण्ड	24
	5 मिनिट 30 सेकेण्ड	16	6 मिनिट 30 सेकेण्ड	16
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड	08	6 मिनिट 40 सेकेण्ड	08
	5 मिनिट 50 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनिट 50 सेकेण्ड से अधिक	00

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के लिए भरती नियम

क्रमांक एफ–1–26/04/(6) 52.—छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्र. 16 सन् 1978) की धारा–7 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः— (एक) इन 'नियमों' का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा भर्ती नियम, 2006 कहलायेंगे ।
(दो) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2. परिभाषाएंः— (क)"नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, उस सेवा को छोड़कर जिसके संबंध में नियुक्ति शासन द्वारा की जाती है, बोर्ड;
(ख) "समिति" से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति;
(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम–6 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(घ) "मंडल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क. 16 सन् 1978) की धारा 5 के अधीन गठित मंडल;
(ङ) "प्रबंध संचालक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क. 16 सन् 1978) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रबंध संचालक;
(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट तथा राज्य सरकार द्वारा इस विषय में समय–समय पर अधिसूचित अनुसूचित जाति;
(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट तथा राज्य सरकार द्वारा इस विषय में समय–समय पर अधिसूचित अनुसूचित जनजाति;
(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड सेवा;

3. **विस्तार तथा प्रयुक्तिः—** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिये गए उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगें ।

4. **सेवा का गठनः—** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगें, अर्थातः—
   (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय मूल या स्थानापन रूप में धारण कर रहे हों ।
   (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा भर्ती किये गये हों, और,
   (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदिः—** सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान आदि सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इसमें संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी । परन्तु मंडल सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय—समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा ।

6. **भर्ती का तरीकाः—**(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात—
   (क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा ।
   (ख) अनुसूची—दो के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ।
   (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जो इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जाए, मूल हैसियत से धारण कर रहें हों ।

   (2) उपनियम (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त किये गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में बताये गए प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

7. **सेवा में नियुक्तिः—** सेवा की समस्त नियुक्तियां नियम—6 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किए जायेंगें ।

8. **सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें:—** परीक्षा/चयन में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात्—
   (क) परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसकी आयु अधिकतम 30 वर्ष हो ।
   (ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी हो तो अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी ।

9. **शैक्षणिक अर्हतायें:—** अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में दर्शाये अनुसार सेवा के लिए विहित

शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगाः— अभ्यर्थी के चयन के लिए किसी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थी जिसे बोर्ड द्वारा प्रवेश हेतु प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात होगा ।

11. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षणः—

(क) सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए रिक्तियों/पदों का आरक्षण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय—समय पर विहित अनुसार किए जाएंगें ।

(ख) आरक्षित रिक्तियों की पदोन्नति की प्रकिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश के अनुसार होंगें । ।छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक—एक—4—2/2001/कमांक—एक—4—2/2001/1—3 रायपुर दिनांक 3 सितम्बर 2003 द्वारा लोक सेवाओं तथा पदों पर पदोन्नति के आधार पर अवधारण करने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण से संबंधित बनाये गये नियम बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारी पर लागू होगें ।

(ग)पदोन्नति हेतु अवधारणः— (1)चतुर्थ श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के उच्च वेतनमान में, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में, तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी के उच्च वेतनमान में एवं द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति "वरिष्ठता—सह—उपयुक्तता" के आधार पर की जावेगी ।

(2) प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति "योग्यता—सह—वरिष्ठता" के आधार पर की जाएगी ।

(3) आरक्षित प्रवर्ग में पदोन्नतिः— अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सेवा के सदस्यों की पदोन्नति में आरक्षण निम्नानुसार होगाः—

(एक) जब वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपयुक्तता सूची बनाई जानी हो तो रोस्टर निम्नानुसार होगा—

अ.क.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत पदों पर, तथा द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति	15 प्रतिशत	23 प्रतिशत
2.	तृतीय श्रेणी के पदों पर अथवा तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत तथा चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत पदों में पदोन्नति में	16 प्रतिशत	23 प्रतिशत

(दो) जब योग्यता सह—वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरटी) के आधार पर उपयुक्तता सूची बनाई जानी हो तो रोस्टर निम्नानुसार होगाः—

अ.क्र.	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी में पदोन्नति	15 प्रतिशत	23 प्रतिशत

12. पदोन्नति द्वारा नियुक्तिः–(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार के कालम क्रमांक–5 में उल्लेखित सदस्य हों ।
(2) समिति की बैठक ऐसी अंतरावधियों में होंगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
(3) समस्त सदस्यों की वरिष्ठता सूची तैयार की जावेगी तथा विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

13. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तेः– (1) उपनियम (2) के व्यवस्थाओं के अध्यधीन, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगा, जिन्होनें उस वर्ष की पहली जनवरी को इससे संलग्न अनुसूची चार के कालम–2 में उल्लेखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया है, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जो अनुसूची चार के कालम 4 में अंकित है तथा विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।
(2) समिति पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सेवा या पद वरिष्ठता के क्रम में एक चयन सूची तैयार करेगी । चयन की रीति योग्यता–सह–वरिष्ठता पर आधारित होगी जो समिति द्वारा पॉच वर्षो की गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर अवलोकन कर अवधारित किया जाएगा ।

14. चयन सूचीः– (1) बोर्ड समिति द्वारा तैयार की गई, सूची पर अन्य संबद्ध दस्तावेज के साथ विचार करेगा, किये जाने वाले किन्हीं परिवर्तनों के साथ उसे अनुमोदित करेगा ।
(2) वह तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जावे,परन्तु इसकी वैधता इसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी ।

15. चयन सूची से सेवा में नियुक्तिः–(1) चयन सूची में सेवा के सदस्यों की सेवा के संवर्ग में आने वाले पदों पर नियुक्तियॉ उसी क्रम से की जायेंगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में दिये गये हों । बोर्ड की ओर से पदोन्नति व नियुक्ति के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक के पास होंगें ।
(2) साधारणतः उस व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जबकि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति के दिनांक के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट आयी है जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी है जो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाती हो ।

16. परिवीक्षाः— सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा ।

17. निरसन और व्यावृतिः— इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त थे, एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नंद कुमार, सचिव.

अनुसूची—1
(नियम—5—देखिए)

सेवा में सम्मिलित पदों का नाम		पदों की संख्या	प्रवर्ग	वेतनमान
1		2	3	4

प्रधान कार्यालय

1.	प्रबंध संचालक	1	प्रथम वर्ग	आई.ए.एस. संवर्ग के
2.	वित्तीय सलाहकार	1	प्रथम वर्ग	12000—16500 राज्य वित्त सेवा संवर्ग
3.	संयुक्त संचालक	1	प्रथम वर्ग	12000—16500
4.	उपसंचालक	5	प्रथम वर्ग	10000—15200
5.	लेखाधिकारी	1	द्वितीय वर्ग	8000—13500 राज्य वित्त सेवा संवर्ग
6.	स्टेनोग्राफर	2	तृतीय वर्ग	4500—7000
7.	निरीक्षक	5	तृतीय वर्ग	4500—7000
8.	सुपरवाइज़र	6	तृतीय वर्ग	4000—6000
9.	सहायक ग्रेड—2	6	तृतीय वर्ग	4000—6000
10.	सहायक ग्रेड—3	4	तृतीय वर्ग	3050—4590
11.	वाहन चालक	1	तृतीय वर्ग	3050—4590
12.	दफ्तरी	1	चतुर्थ वर्ग	2610—3540
13.	भृत्य	4	चतुर्थ वर्ग	2550—3200

जिला कार्यालय

1.	सहायक संचालक/प्रबंधक	16	द्वितीय वर्ग	8000—13500
2.	निरीक्षक	16	तृतीय वर्ग	4500—7000
3.	सहायक ग्रेड—3	7	तृतीय वर्ग	3050—4590

उत्पादन केन्द्र एवं भण्डार

1.	सहायक संचालक/प्रबंधक	1	द्वितीय वर्ग	8000—13500
2.	निरीक्षक	3	तृतीय वर्ग	4500—7000
3.	सुपरवाइजर	14	तृतीय वर्ग	4000—6000
4.	सहायक ग्रेड—2	10	तृतीय वर्ग	4000—6000
5.	सहायक ग्रेड—3	12	तृतीय वर्ग	3050—4590
6.	भृत्य	9	चतुर्थ वर्ग	2550—3200

अनुसूची–2
(नियम–2–एवं 6 देखिए)

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

	पदों का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6(क)देखिए)	विभागीय पदोन्नति द्वारा(नियम 6(ख)देखिए)	प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6(ग)देखिए)
	1	2	3	4	5
	प्रधान कार्यालय				
1.	प्रबंध संचालक	1	–	–	100% भा.प्र.सेवा संवर्ग से
2.	वित्तीय सलाहकार	1	–	–	100% राज्य वित्ता सेवा संवर्ग से
3.	संयुक्त संचालक	1	–	100%	–
4.	उपसंचालक	5	–	100%	–
5.	लेखाधिकारी	1	–	–	100% राज्य वित्ता सेवा संवर्ग से
6.	स्टेनोग्राफर	2	100%	–	–
7.	निरीक्षक	5	25%	75%	–
8.	सुपरवाइजर	6	–	100%	–
9.	सहायक ग्रेड–2	6	–	100%	–
10.	सहायक ग्रेड–3	4	75%	25%	–
11.	वाहन चालक	1	100%	–	–
12.	दफ्तरी	1	–	100%	–
13.	भृत्य	4	100%	–	–

जिला कार्यालय

1.	सहायक संचालक / प्रबंधक	16	25%	75%	—
2.	निरीक्षक	16	25%	75%	—
3.	सहायक ग्रेड–3	7	75%	25%	—

उत्पादन केन्द्र एवं भण्डार

1.	सहायक संचालक / प्रबंधक	1	25%	75%	—
2.	निरीक्षक	3	25%	75%	—
3.	सुपरवाइजर	14	—	100%	—
4.	सहायक ग्रेड–2	10	—	100%	—
5.	सहायक ग्रेड–3	12	75%	25%	—
6.	भृत्य	9	100%	—	—

अनुसूची तीन
(नियम–8– देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	अभियुक्ति
छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	प्रधान कार्यालय के पद				
	1. प्रबंध संचालक	–	–	–	शासन द्वारा भरा/नियुक्त किया जावेगा
	2. वित्तीय सलाहकार	–	–	–	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा ।
	3.संयुक्त संचालक	–	–	–	पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा ।
	4. उपसंचालक	–	–	–	——"——
	5. लेखाधिकारी	–	–	–	प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जायेगा ।
	6. स्टेनोग्राफर	18	30	कम से कम हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा मुद्रलेखन शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा कम्प्यूटर में अनुभव	
	7. निरीक्षक	18	30	स्नातक	
	8. सुपरवाइजर	–	–	–	पदोन्नति से
	9. सहायक ग्रेड–2	–	–	–	पदोन्नति से
	10.सहायक ग्रेड–3	18	30	कम से कम हायर सेकेण्डरी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण,तथा कम्प्यूटर में अनुभव	
	11. वाहन चालक	18	30	कम से कम मिडिल स्कूल पास एवं वाहन चलाने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैद्य लायसेंस होना चाहिए ।	
	12. दफ्तरी	–	–	–	पदोन्नति से
	13. भृत्य	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं सायकल चलाना आना चाहिए	

जिला कार्यालय

सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	अभियुक्ति
1. सहायक संचालक/प्रबंधक	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में या महत्वपूर्ण संस्था/कम्पनियों में कार्य करने का अनुभवी को वरीयता	
2. निरीक्षक	18	30	कम से कम स्नातक	
3.सहायक ग्रेड–3	18	30	कम से कम हायर सेकेण्डरी मुद्रलेखन पास तथा कम्प्यूटर में अनुभव	

उत्पादन केन्द्र/भण्डार

सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक योग्यता	अभियुक्ति
1. सहायक संचालक/प्रबंधक	18	30	कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र में या महत्वपूर्ण संस्था/कम्पनियों में कार्य करने का अनुभव	
2. निरीक्षक	18	30	कम से कम स्नातक	
3. सुपरवाइजर	—	—	—	पदोन्नति द्वारा
4. सहायक ग्रेड–2	—	—	—	पदोन्नति द्वारा
5. सहायक ग्रेड–3	18	30	कम से कम हायर सेकेण्डरी पास मुद्रलेखन पास तथा कम्प्यूटर का अनुभव	
6. भृत्य	18	30	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं सायकल चलाना आता हो	

अनुसूची–4
(नियम 12 एवं 13 (1)देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पदस्थ नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों का नाम
1	2	3	4	5
छ.ग.खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	1.उपसंचालक	संयुक्त संचालक	5 वर्ष	अध्यक्ष– प्रबंध संचालक सदस्य–(1)सचिव / अतिरिक्तसचिव / उपसचिव ग्रामोद्योग विभाग (2)सचिव / अतिरिक्त सचिव / उपसचिव सार्वजनिक उपक्रम विभाग
	2. सहायक संचालक / प्रबंधक	उपसंचालक	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	3. निरीक्षक / स्टेनोग्राफर	सहायक संचालक / प्रबंधक	5 वर्ष	अध्यक्ष– प्रबंध संचालक सदस्य–(1) वित्तीय सलाहकार (2)उपसंचालक स्थापना
	4. सुपरवाइजर / सहायक ग्रेड–2	निरीक्षक	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	5. सहायक ग्रेड–3	सहायकग्रेड–2 / सुपरवाइजर	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	6. दफ्तरी / भृत्य	सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार
	7. भृत्य	दफ्तरी	5 वर्ष	उपरोक्तानुसार

Raipur, the 1st June 2006

No. F-1-26/04/(6) 52.—In exercise of the powers conferred by sub section (3) of section 7 of the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Adhiniyam, 1978 (No. 16 of 1978) the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board, hereby makes the following rules, namely :—

Rules

1. **Short title and commencement** :-

(i) These rule may be called the Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog Board, Service Recruitment Rule 2006.

(ii) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions** :- In these rules unless the content otherwise requires :-

(A) "Appointing Authority" means Board. Except for that service, for which the government, for the purpose of service, makes appointment.

(B) "Committee" means departmental promotion committee.

(C) "Examination" means written or oral examination under Rule 6 of the said requirement rules.

(D) 'BOARD' means Board constituted under rule 5 of Chhattisgarh Khadi Tatha Gramodyog 1978 (No.16 of 1978)

(E) "Managing director". means the managing director appointed under sub section (1) of section-7, Chhatisgarh Khadi Tatha Gramodyog Adhiniyam 1978.(No.16 of 1978)

(F) "Schedule" means a schedules appended to these rules.

(G) "Scheduled Castes" means the Scheduled castes as specified in relation this state under Article 341 of the constitution of India.

(H) "Scheduled tribe" means the schedule tribe as specifide in relation to this state under article 342 of the Constitution of India.

(I) "Service" means the services of Board as given in appendix -2 of scheduled (ii).

3. **Extent and Contrivance** :- Chhattisgarh civil services (General conditions of service Rule 1961) giving for that generality of annexure, without adverse effect service rules will apply to every member.

4. **Constitution of Service** :-The service shall consist of the following persons namely :-

    1. persons who at commencements ruleare holding substantively or in officiating capacity the passes specified in schedule.
    2. persons recruited to the service before the commencement of these rule and
    3. persons recruited to the in service accordance with the provisions of these rule.

5. **Classification, Pay scale etc** : - classification of the service, the scale of pay attached ther to and number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in the Schedule. But the board would extent or reduces the number of post time permanent or temporary.

6. **Method of recruitment**:- (1)Recruitment in the service after the commencement of these rules, shall be following method, namely :-

    A. By direct recruitment by competition examination .

    B. By promotion

    C. By transfer these persons who have-holding the original post in service. which is specified

(2)At any time Number of persons under Clasue (B) & (C) of Sub-Rule 1 (Specified in schedule 1) shall be not execs the percent (%) that has given number of duty posts in schedule 2.

7. **Appointment of service**:- According to Meeting NO. 2 of board of director, proposal-arrangement No. 6 dated 18.07.2002, Officer of disciplinary action of upto 3rd class employees, Managing director, 1st class & 2nd class officer recommendation of managing director be delegated to chairman.

8. **Condition of qualification for direct recruitment** :- A candidate should fulfill the following condition for selection eligibility of competition examination that is :-

   Age :- (A) He has attained the age 30 year to commencing 1st January after date of examination / selection.

   (B) if the candidate belongs to the scheduled castes or scheduled tribes, maximum 5 year may exempt.

9. **Educational qualification** :- He should have education qualificatin for service according to mentioned in schedule 3.

10. **Eligibility of candidates the decision of the board would final** : Any candidate eligibility or ineligibility to appear in the selection examination the decision of board would be final.

11. **Reservation of posts for schedule casts / Scheduled tribes** : -

    (a) Rules prescribed time to time by the state of Chhattisgarh Relating to percents Scheduled castes / Scheduled tribes and other Backward class for direct recruitment shall be applicable.

    (b) Staff service rules promotion rules and reservation criteria prescribed for the Scheduled caste and Scheduled tribes notified by the general Administration Department Chhattisgarh Government vide notification No. F-1-2/2001/1-3

Raipur dated 3rd Sept. 2003 shall be applicable to the staff and officers of the board.

(c) Eligibility Criteria for promotion;- (1) Promotion from class IVth to class IVth senior pay scale, class IVth to class III, class III to class III senior pay scale, class III to class II, class II to class II senior pay scale and class II to class I shall be on seniority cum fitness basis.

(2) Promotion from class- I to class- I senior pay scale shall be based on merit- cum- seniority basis.

(3) **<u>Promotion in reserve category</u>** :- Reservation in promotion to the members in service belonging to Scheduled Casts /schedule tribe shall be as under :-

(one) Whether fit list is to be prepared on the basis of seniority, subject to fitness the roster shall be as under :-

S.NO. (1)	(2)	Scheduled Cast (3)	Scheduled Tribe (4)
1.	promotion to class -II posts, promotion within class-II posts and promotion from class-II to class I posts	**15%**	**23%**
2.	promotion to class-III posts, promotion within class-III posts promotion within class-III posts and promotion from class-IVth to class-III posts and promotion within class-IVth posts	**16%**	**23%**

(Two) Whether the fit list is to be prepared on the basis of merit cum-seniority, the roaster shall be as under:-

S.NO. (1)	(2)	Scheduled Cast (3)	Scheduled Tribe (4)
1.	Promotion from class-I to class-I senior pay scale	**15%**	**23%**

12. **Appointment by promotion** :-(1) The list as finally approved by the committee shall from the select list for promotion of members of service as mentioned in Column 2 of From Column 3 of the Said schedule(IV)

(2) Meeting of committee shall be held interval. generally not more than one year.

(3) Seniority list shall be making of all members of service to produce Dempartmental Promotion Committee.

13. **Conditions for Eligibility for Promotion :-** (A). The Sub Rule (B) the committee shall be consider the cases of all personas, Who on the 1st day of January of that year, have completed the period or service shown in column (4) of schedule (iv) (whether officiating or substatantive) in the post/service mentioned in column 2 of schedule 4 or any other post or post declare equivalent there to by the Goverment.

(B). Committee shall makes a selection list for eligible candidates service or seniority according to series. The parameter of the selection shall on the basis of seniority and qualification that shall be final by the committee by virtue of 5 years confidential report.

14. **Selectioin List :-** (A) Board shall consider with the other relevant documents selection list has made by the committee, going to be change it shall be recommended and shall undertaking till unless review or revision.

(B) It is applicable for the period unless it is revised but its Validity has not been expended beyond 18 month from the date of its preparation.

15. **Appointment in service from selection list** :- (A)Appointment for the posts which including persons in the list service come within cadre is according to the list of seniority. Managing director has a full power to appointment or promotion.

(B) Normally, before Selection it is not necessary for the person whose name is appear in the selection list. to cansult with committee. when he is not eligible for appointment in service as per the opinion of the appointig athrority due to defeniotion of his service during the period of appearing his name in selection list and proposed date of appointment.

16. **Probation** :- Every person who has appointed as direct recruitments his or her probation for a period of two years.

17. **Repeal & Saving** :- All rules regarding this rules and prior to start undertakes the all rules the subject under this rules may repeal.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed, to have been made, or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NAND KUMAR, Secretary.

Schedule I

(See Rule 5)

	Name of post included in the service (1)	Number of Post (2)	Categary (3)	Pay Scale (4)
	Head Office			
1.	Managing Director	1	Class-I	I.A.S. Cadre
2.	Financial Advisor	1	Class-1	12000-16500 State Finance Cadre
3.	Jonit Director	1	Class-1	12000-16500
4.	Deputy Director	5	Class-1	10000-15200
5.	Account Officer	1	Class-II	8000-13500 State Finance Cadre
6.	Stenographer	2	Class-III	4500-7000
7.	Inspector	5	Class-III	4500-7000
8.	Supervisor	6	Class-III	4000-6000
9.	Assistant Grade-II	6	Class-III	4000-6000
10.	Assistant Grade-III	4	Class-III	3050-4590
11.	Driver	1	Class-III	3050-4590
12.	Daftari	1	Class-IV	2610-3540
13.	Peon	4	Class-IV	2550-3200
	District Office			
1.	Assistant Director/ Manager	16	Class-II	8000-13500
2.	Inspector	16	Class-III	4500-7000
3.	Assistant Grade-III	07	Class-III	3050-4590

Production Center & Marketing Center

1.	Assistant Director/ Manager	1	Class-II	8000-13500
2.	Inspector	3	Class-III	4500-7000
[illegible]	Supervisor	14	Class-III	4000-6000
4.	Assistant Grade-II	10	Claas-III	4000-6000
5.	Assistant Grade-III	12	Class-III	3050-4590
6.	Peon	9	Class-IV	2550-3200

SCHEDULE NO. 2

(See Rule 2 and 6)

Chhattisgarh Khadi Tatha Gromodyog Board

Name of Department and name of post	No. of post	percentage of to be filled: By Direct Recruitment	By Departmental promotion	by Deputation
		See rule 6(a)	See rule6 (b)	See rule 6(c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Managing Director	1	-	-	100% I.A.S. Cadre
2. Financial Advisor	1	-	-	100% State Finance Cadre
3. Joint Director	1	-	100%	-
4. Deputy Director	5	-	100%	-
5. Account Officer	1	-	-	100% State Finance Cadre
6. Stenographer	2	100%	-	-
7. Inspector	5	25%	75%	-
8. Supervisor	6	-	100%	-
9. Assistant Grade-II	6	-	100%	-
10. Assistant Grade-III	4	75%	25%	-
11. Driver	1	100%	-	-
12. Daftari	1	-	100%	-
13. Peon	4	100%	-	-

DISTRICT OFFICE

1. Assistant Director/ Manager	16	25%	75%	-
2. Inspector	16	25%	75%	-
3. Assistant Grade III	7	75%	25%.	-

Production Center & Markenting Center

1. Assistant Director/ Manager	[illegible]	25%	75%	-
2. Inspector	3	25%	75%	-
3. Supervisor	14	-	100%	-
4. Assistant Grade-II	10	-	100%	-
5. Assistant Grade-III	12	75%	25%	-
6. Peon	9	100%	-	-

SCHEDULE-3
(See Rule-8)

Name of Department	Name of service	Minimum Age	Maximum Age	Colification	Remark
Chhattisgarh Khadi & Village Industriese Board	Haed Office Post				
	1. Managing Director	-	-	-	Deputation I.A.S. Cadre
	2. Finanace Advisor	-	-	-	State Finanace Cadre
	3. Joint Director	-	-	-	By Promotion
	4. Dy. Director	-	-	-	As above
	5. Account officer	- -	-	-	State Finanace Cadre
	6. Stenographar	18 Years	30 Years	Higher Secondary (10+2) Examination pass And Diploma in Sharthand, Typing Pass	-
	7. Inspector	18 Years	30 Years	Graduate	-
	8. Supervisor	-	-	-	By Promotion
	9. Asst.Grade-II	-	-	-	By Promotion
	10. Asst.Grade-III	18 Years	30 Years	Higher Secondary (10+2) Examination Pass, Typing pass & Experience of Computer	-
	11. Driver	18 Years	30 Years	Midle School pass & Jeep/Car Light Vehicle Driving Liecence	-
	12. Daftari	-	-	-	By Promotion
	13. Peon	18 Years	30 Years	8th Class Pass & Cycle Driving Compulsary	-

District Office

Name of Service	Minimum Age	Maximum Age	Califiction	Remark
1. Asst.Director/ Manager	18 Years	30 Years	Post Grduate II Class pass & Gramodyog, Institute, Company Workig Experience	-
2. Inspector	18 Years	30 Years	Graduate	-
3. Asst.Grade-III	18 Years	30 Years	Higher Secondary (10+2) Examination Pass, Typing pass & Experience of Computer	

Production Center & Marketing Center

Name of Service	Minimum Age	Maximum Age	Califiction	Remark
1. Asst.Director/ Manager	18 Years	30 Years	Post Grduate II Class pass & Gramodyog, Institute, Company Workig Experience	
2. Inspector	18 Years	30 Years	Graduate	
3. Supervisor	-	-	-	By Promotion
4. Asst.Grade-II	-	-	-	By Promotion
5. Asst.Grade-III	18 Years	30 Years	Higher Secondary (10+2) Examination Pass, Typing pass & Experience of Computer	
6. Peon	18 Years	30 Years	8th Class Pass & Cycle Driving Compulsary	

SCHEDULE. NO. 4
(See Rule 12 & 13(1))

Name of Department	Name of service or post to be promoted	Name of service or posts on which promotion is to	Experience	Name of Member departmental promotion committee
1	2	3	4	5

POST OF HEAD OFFICE

Name of Department	Name of service or post to be promoted	Name of service or posts on which promotion is to	Experience	Name of Member departmental promotion committee
C.G.Khadi & Village Industries Board	1. Deputy Director	Joint Director	5 Years	Chairman-Managing Director Member-Addl. Secy./ Dy.Secy. Gromodyog Deputy Secy. – Public Enterpris
	2. Asst. Director/ Manager	Deputy Director	5 Years	Chairman-ManagingDirector Member-Addl. Sece./Dy. Secy Gramodyog, Deputy Secy- Public Enterpris Dy.Director (Establishment)
	3. Inspector/ Stenographer	Asst.Director/ Manager	5 Years	Chairman-Managing Director Member- Finanacial Advisor, Dy. Director (Establishment)
	4. Supervisor / Asst.Grade-II	Inspector	5,Years	As above
	5. Asst.Grade-III	Asst.Grade-II/ Supervisor	5 Years	As above
	6.Daftari/ Peon	Asst.Grade-III	5 Year	As above

RULES & CONDITIONS OF DIRECT RECRUITEMTN

SN.	Name of post to be promotion	Education qualification & elegibility & experioence
1.	2.	3.
1.	Assistant Director / Manager	Post Graduate II division
2.	Inspector	Graduate II divion
3.	Stenographer	Higher secondary pass. Diploma in Shorthand & Experience of computer.
4.	Supervisor	Graduate (experience of work fo Khadi Gramoudyog priority)
5.	Asst. Grad. – 3	Higher Secondary (10+2) examinations pass in II division and trained for typing work and computer typing.
6.	Driver	Higher Secondary pass and Jeep/car (Light Vehicle) licnece holder
7.	Peon	8^{th} pass

राजस्व विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक/1415/राजस्व/2006.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता - 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) एवं (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित तथा वर्णित जिला रायगढ़ के नगरीय क्षेत्र घरघोड़ा के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

ग्राम का नाम/समूह	प्रमाणित दर			
	प्रति 100 वर्गफुट		प्रति 10 वर्गमीटर	
	आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
घरघोड़ा "अ"	38.30	57.50	41.25	61.85
घरघोड़ा "ब"	4.95	7.40	5.30	7.95
घरघोड़ा "स"	2.00	3.05	2.15	3.25
कोड़ासिया	1.10	1.65	1.20	1.80
गहनाझिरिया	0.95	1.40	1.05	1.55
वगुडेगा	0.80	1.20	0.85	1.30
मुड़ागांव	0.75	1.15	0.85	1.25
लैलूंगा	4.40	6.65	4.70	7.15
सोनाजोर	0.30	0.50	0.35	0.55
तमनार	1.05	1.55	1.10	1.65
महतोइ	0.65	0.95	0.70	1.05

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक/1417/राजस्व/2006.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता - 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) एवं (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित तथा वर्णित जिला रायगढ़ के नगरीय क्षेत्र खरसिया के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

ब्लाक क्र.	नाम	गांव की संख्या	विगत 5 वर्षों के बिक्री छांट के आधार पर प्राप्त मानक दर			
			निवासार्थ प्रति		व्यवसायिक प्रति	
			100 वर्गफुट	10 वर्गमीटर	100 वर्गफुट	10 वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खरसिया "अ"	1	37.90	58.90	40.80	61.20
2.	खरसिया "ब"	1	36.45	54.65	39.20	58.80
3.	खरसिया "स"	1	12.30	18.45	13.20	19.85
4.	बोतल्दा	1	4.48	6.72	4.82	7.23
5.	तेलीकोट	1	5.92	8.88	6.38	9.57

रायपुर, दिनांक 31 मई 2006

क्रमांक/1419/राजस्व/2006.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता - 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93-94 (2) 95, 96, 97 (1), 98 (2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) एवं (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारिणी के कालम 3, 4, 5 एवं 6 में उल्लेखित तथा वर्णित जिला रायगढ़ के नगरीय क्षेत्र धरमजयगढ़ के संबंध में निर्धारण की मानक दर प्रकाशित करता है. जिन्हें राज्य शासन उक्त नगर की ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया है. जो वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजनों और आवास गृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हो, उपयोग में लाई जाती है.

क्र.	ग्राम का नाम	प्रमाणित दर			
		प्रति 100 वर्गफुट		प्रति 10 वर्गमीटर	
		आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक	आवासीय	व्यवसायिक औद्योगिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धरमजयगढ़ "अ"	18.40	27.60	19.80	29.70
2.	धरमजयगढ़ "ब"	17.75	26.65	19.10	28.70
3.	धरमजयगढ़ "स"	14.80	22.15	15.90	23.85
4.	चाखापारा	1.20	1.85	1.30	1.95
5.	रैरुमाखुर्द	1.10	1.65	1.20	1.80
6.	ठाकुरपोड़ी	0.50	0.80	0.60	0.85
7.	ससकोबा	0.40	0.60	0.45	0.70
8.	पखनाकोट	0.40	0.60	0.45	0.70
9.	विजयनगर	0.75	1.10	[illegible]	1.20
10.	छा[illegible]	2.60	3.90	2.80	4.20
11.	[illegible]टी	1.70	2.55	1.80	2.70

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, अवर सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2006.

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ-3-21/2005/12.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 जून 2006, जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ के राजपत्र दिनांक 9 जून 2006 में हुआ है, की तीसरी पंक्ति में ''तीन दिन'' के स्थान पर ''तीस दिन'' पढ़ा जाए. शेष अधिसूचना यथावत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 5 जून 2006

क्रमांक 440/ले. पा./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	साजा	महीदही प. ह. नं. 12	0.09	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	करमू-बीजा मार्ग पर डोटू नदी सेतु के पहुंच मार्ग में आ रही भूमि का भू-अर्जन बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 8 मार्च 2006

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	भेड़वन प. ह. नं. 7	0.591	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग बिलासपुर.	तिलईमुड़ा - जसरा मार्ग के कि. मी. 2/2 पर लीलार सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 15 मई 2006

प्र. क्र. 27 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भनसुला प. ह. नं. 45	79.864	कार्यपालन अभियंता, सूतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुरलोहारा जिला कबीरधाम.	सूतियापाट मध्यम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 15 मई 2006

प्र. क्र. 28 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नवागांव प. ह. नं. 45	12.361	कार्यपालन अभियंता, सूतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुरलोहारा जिला कबीरधाम.	सूतियापाट मध्यम परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक 88/अ.वि.अ./भू-अर्जन/8-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खट्टी प.ह.नं. 130	5.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	बिलाही डबरी जलाशय योजना के शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक 87/अ.वि.अ./भू-अर्जन/9-अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बुन्देली प.ह.नं. 28	0.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद (छ. ग.)	गजगिधनी जलाशय के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प.ह.नं. 41	0.105	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग, चांपा.	जांजगीर-चांपा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	जांजगीर प.ह.नं. 41	0.061	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, चांपा संभाग, चांपा.	जांजगीर-चांपा बाईपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 2 मई 2006

क्रमांक 19/ अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सिलपहरी	0.276	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	सिलपहरी जलाशय बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक अ. वि. अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 39/अ/82, वर्ष 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
240/5	0.089
240/1	0.114
239/1	0.239
225/1	0.020
226	0.219
224/1	0.020
238/1	0.057
228/1	0.049
281/2	0.138
219/1, 220/1	0.024
215	0.623
2	0.028
212/1	0.036
212/2	0.020
211/2	0.036
203/1	0.263
202/6	0.206
202/4	0.016
169/2	0.040
169/5	0.049
169/1, 170/1	0.202
169/3	0.061
165/2	0.032
2	0.093
218/3	0.069
योग 25	2.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किरना वितरण नहर के किरना माइनर नं. (3) नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक अ. वि. अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 40/अ/82, वर्ष 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-तिल्दा

(ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.711 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
359/28	0.049
359/74	0.036
359/26	0.125
359/56	0.215

(1)	(2)
359/1	0.429
359/97	0.093
359/98	0.190
357/1से 5, 358/1-2	0.336
356/4	0.004
107/6	0.069
111/6	0.032
111/1	0.089
119/2	0.057
118	0.219
117	0.040
120/2	0.207
120/1	0.081
122	0.085
124/2	0.057
123/1	0.039
55/7	0.105
55/5	0.040
53/10	0.045
55/3	0.008
55/9	0.032
53/6	0.028
53/15	0.008
53/5, 53/16	0.138
55/1	0.008
53/14	0.040
53/21, 22	0.049
53/8, 53/17	0.073
121	0.114
61/5	0.170
52/1	0.089
49/4	0.121
49/9	0.040
49/14	0.110
42/1	0.008
359/89	0.032
योग 40	3.711

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किरना वितरण नहर के किरना माइनर नं. (2) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक अ. वि. अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 41/अ/82, वर्ष 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-जलसो, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
43/1	0.024
योग	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किरना वितरण शाखा नहर के किरना माइनर नं. (1) नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 6 मई 2006

क्रमांक अ. वि. अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 42/अ/82, वर्ष 2004-2005.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-तिल्दा
(ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.618 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
534/1	0.024
533/6	0.081
533/4	0.012
533/1	0.089
525/1	0.053
525/2	0.049
524/1, 524/2	0.008
2	0.057
522/9	0.041
522/4	0.028
522/3	0.089
494	0.405
492	0.154
491	0.109
467/3	0.024
467/5	0.089
523/1	0.008
522/10	0.053
490	0.069
468/1	0.032
468/2	0.109
468/3	0.040
468/4	0.028
463/14	0.024
योग 23	1.618

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- किरना वितरण नहर के किरना माइनर नं. (1) के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/2/अ/82 वर्ष 05-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-बिलाईगढ़
(ग) नगर/ग्राम-परसाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.694 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
35/1	0.122
34	0.069
36/1	0.036
37	0.008
151/1	0.012
150/2	0.008
150/3	0.061
88	0.041
39	0.061
40/1	0.041
40/2	0.053
38/1	0.069
45/1	0.049
38/3	0.032
35/2	0.032
योग 18	0.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बनाहिल-परसाडीह मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/3/अ/82 वर्ष 05-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-पीपरडुला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
335	0.024
339	0.008
338/5	0.004
338/1	0.024
350	0.008
338/3	0.024
351	0.048
357/8	0.041
357/12	0.077
357/16	0.053
348	0.053
349	0.016
326	0.008
325	0.089
345	0.101
344	0.012
340/1, 342	0.020
योग	0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- झुमका-पीपरडुला मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

क्रमांक /क/भू-अर्जन/4/अ/82 वर्ष 05-06.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मल्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.564 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
542	0.130
549/2	0.041
546/1	0.073
546/3	0.021
547/2	0.008
548	0.021
582/1	0.073
577	0.138
576	0.110
570/1, 572/1	0.008
573/1	0.101
892	0.041
583/2	0.101
581/1	0.065
630	0.033
629, 628	0.057
632	0.057
626/1	0.045
690	0.012
691	0.012
625	0.053
689	0.008
682/1, 683/1	0.122
681/1, 980/1	0.162

	(1)	(2)
	578	0.016
	681/2, 980/2	0.016
	631	0.041
योग	28	1.564

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-मल्दा, सर्वा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 मार्च 2006

क्रमांक 3/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-टीकरकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.129 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	226/9	0.129
योग		0.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2006

प्रकरण क्रमांक 1 अ/82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ. ग.)
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-चपोरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	69	0.113
योग		0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-चापी जलाशय के पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2006

रा. प्र. क्र. 01/अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सेमरचुआ, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.918 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	750/1	0.227
	824/2	0.020
	814/2	0.045
	822	0.024
	821	0.036
	750/2	0.024
	750/3	0.028
	751/3	0.040
	815/1	0.146
	753	0.283
	823	0.045
योग	11	0.918

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक 3639/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-बादराटोला, प.ह.नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.266 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
65	0.153
303/2	0.800
66/1	0.380
68	0.220
410/7	0.008
69	0.037
64	0.004
76/1	0.049
67	0.016
76/2	0.061
78	0.137
79	0.093
80	0.076
87	0.144
88	0.032
90/3	0.200
90/2	0.020
91	0.117
148/1	0.072
150	0.364

(1)	(2)
152/2	0.040
151	0.136
155/2	0.024
155/6	0.105
152/1	0.106
153	0.243
154	0.162
447/1	0.273
448/1, 447/3	0.004
447/2	0.452
441/4	0.032
441/5	0.184
428/2	0.016
429	0.204
431/1	0.020
432/2	0.302
432/1	0.342
438/8	0.012
409/1	0.202
409/4	C.170
409/11	0.212
309/5	0.152
310/1	0.008
303/1	0.069
307/2	0.320
308/1	0.081
308/3	0.040
449/2	0.016
82	0.156
89/1	0.162
306/1	0.008
422/1	0.266
422/3	0.363
66/2	0.097
86	0.008
436/1	0.280
308/6	0.016
योग 56	8.266

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 30 मई 2006

क्रमांक 3640/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-केरेगांव, प.ह.नं. 60
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.779 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
141/1	0.149
75	0.024
42	0.216
45	0.080
44/1	0.012
72/8	0.223
44/2	0.040
72/9	0.105
72/10	0.032
44/3	0.040
72/6	0.012
43/1	0.089
46/1	0.160
74/1	0.236
74/3	0.004
46/3	0.020
46/2	0.108
74/2	0.448
72/7	0.081
71/1	0.272
71/2	0.426
71/4	0.064
82	0.312

(1)	(2)
89/2	0.108
393/5	0.016
87/1	0.428
86	0.022
114/14	0.053
114/6	0.180
115/5	0.116
115/6	0.113
127	0.373
120	0.068
121/1	0.138
121/2	0.268
126/2	0.203
43/2	0.049
126/3	0.040
122	0.012
118/1	0.252
119/2	0.129
119/1	0.032
83/1	0.144
83/2	0.128
85/1	0.021
116/1	0.016
393/2	0.028
126/1	0.219
126/4	0.012
114/3	0.053
114/12	0.012
113	0.036
114/7	0.093
114/8	0.008
391/2	0.008
114/3	0.060
128	0.008
योग 57	6.799

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 जून 2006

क्रमांक 3789/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सांकरा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
407/1	2.17
408/1	0.32
योग	2.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-साल्हेवारा जलाशय के अंतर्गत बांधपार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 6 जून 2006

क्रमांक/89/भू-अर्जन/अ.वि.अ./02 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खुर्शी पहार, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	567	0.05
	570	0.06
योग	2	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-सिरको नवागांव मार्ग पर 1/8 कि.मी. में सुरंगी पुल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जून 2006

क्रमांक 7002/मंडी निर्वाचन/2006.—कृषि उपज मंडी निर्वाचन 2006 में जांजगीर-चाम्पा जिले की कृषि उपज मंडी समितियों में उनके समक्ष दर्शाये गये अनुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं.

क्रमांक	कृषि उपज मंडी का नाम	उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित सदस्य का नाम/पता	कैफियत
(1)	(2)	(3)	(4)
50	नैला-जांजगीर	श्री नारायण प्रसाद सा. पंतोरा, तह. जांजगीर.	माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के याचिका क्रमांक 1520/2006 में पारित आदेश दिनांक 4-4-2006 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	अकलतरा	श्री मिथलेश मु. पो. बिलारी, तह. पामगढ़.	
52.	चाम्पा	श्री बजरंग जायसवाल मु. पो. ढोढातराई, जिला कोरबा.	
53.	सक्ती	सुश्री अन्नपूर्णा राठौर मु. पो. नन्दौर खुर्द, तह. सक्ती.	
54.	आमनदुला	श्री यशवंत कुमार चन्द्रा मु. पो. खोधर, तह. डभरा.	
55.	जैजैपुर	श्री सुरेश चन्द्रा मु. पो. झाल[illegible]दा, तह. जैजैपुर.	

सोनमणि बोरा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवम् भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

प्रारुप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 03.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा की अधिसूचना क्रमांक 1358/अविअ/2006 दिनांक 19-4-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा/21	2408/1	0.30
			912/9	0.20
		योग	**02**	**0.50**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 04.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 1356/अविअ/2006 दिनांक 19-4-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	डोंगरी/22	459	0.15
		योग	01	0.15

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 05.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 1418/अविअ/2006 दिनांक 24-4-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 05 मई 2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	सुल्ताननार/20	94	0.46
			96/1	0.21
			96/2	0.04
			109/3	0.18
			114, 115/1, 115/2, 116/4	0.62
			102/10	1.00
		योग	**09**	**2.51**

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 06.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 1360/अविअ/2006 दिनांक 19-4-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.		खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	भेलाई/22		721/2	0.04
			योग	01	0.04

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जून 2006

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखें)

क्रमांक 07.—राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (सिविल), जांजगीर-चांपा को अधिसूचना क्रमांक 1364/अविअ/2006 दिनांक 19-4-2006 द्वारा उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में एनटीपीसी, सीपत सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला बिलासपुर, परियोजना के लिये जल परिवहन के लिए भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के प्रयोग के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी.

और उक्त अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 28-4-2006 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना प्रकाशित कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

और उक्त भूमिगत पाइपलाईन बिछाने के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है और उन्हें अनुज्ञात कर दिया गया है.

अतएव अब सक्षम प्राधिकारी एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है.

और एतद्द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से पाइपलाईन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगी.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नम्बर	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	कोरबी/22	772/2 ग	0.24
			658/8	0.25
			705/7	0.88
			777/2	0.30
			658/11, 664/2	0.59
		योग	06	2.26

आर. एक्का,
अनुविभागीय अधिकारी.